UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION	**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग** हरिद्वार– 249404 **Website : psc.uk.gov.in**	☎ 📱	**01334-244143** **01334-244282** **07060002410**

विज्ञापन संख्या:: A-1/E-1/2026-27

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2026

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	09 सितम्बर, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	::	29 सितम्बर, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	::	29 सितम्बर, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथि	::	07 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे) तक

अति महत्वपूर्ण निर्देश

(1) **उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ 'उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023' (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। **आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या : 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग** में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा **विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में **अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा**। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।

(3) **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 29 सितम्बर, 2026 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।** 'ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका–2026' के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) (यदि प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो तो) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) का अंकन हो।

विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।**

(5) **फर्जी प्रमाण पत्रों** (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण इत्यादि) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा, साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दिया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

(8) **ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्मतिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग इत्यादि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या–16 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।**

अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(9) **i-** आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।**

ii. विज्ञापित पदों पर चयन हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् मुख्य/लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा।

iii. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

iv. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा/संबंधित पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त जिन प्रविष्टियों/अभिलेखों का दावा नहीं किया गया है, उनके संबंध में कोई विचार/अनुरोध मान्य नहीं होगा।

v. मुख्य/लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार से पूर्व उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का, **'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022' (यथा संशोधित) के भाग–नौ** में उल्लिखित प्राविधानों तथा **'ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका–2026'** के अनुसार आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। **ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।** उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।

vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0डी0 ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें।

(10) अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा में परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु नगरों की सूची के लिए **परिशिष्ट–1,** प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–2,** आरक्षण से संबंधित प्रमाणपत्रों के प्रारूप के लिए **परिशिष्ट–3,** 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–4,** 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–5,** ऊँचाई एवं माप में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु छूट के सम्बन्ध में पर्वतीय प्रमाण पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–6,** न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत हेतु **परिशिष्ट–7 तथा** अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों की चेक–लिस्ट हेतु **परिशिष्ट–8** का अवश्य अवलोकन करें।

(11) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) एवं साक्षात्कार के उपरान्त सम्पूर्ण प्रवीणता सूची तैयार किये जाने हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–07** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची **(MERIT)** हेतु विचारित किया जायेगा।

(12) विज्ञापित पद पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) एवं साक्षात्कार परीक्षा की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। विज्ञापन के **"परिशिष्ट–1"** में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जायेगा। **प्रारम्भिक परीक्षा में सफल एवं अर्ह अभ्यर्थियों के लिये मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारम्भिक, मुख्य परीक्षा के नगरों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।** उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(13) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(14) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये EWS प्रमाण–पत्र एवं OBC अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी OBC प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।**

(15) **यद्यपि प्रश्नगत विज्ञापन में उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखण्ड के अनाथ अभ्यर्थियों हेतु कोई पद आरक्षित नहीं है, तथापि अनारक्षित श्रेणी/संबंधित श्रेणी के सापेक्ष आवेदन करते समय अधिकतम आयुसीमा/शुल्क में छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।**

(16) मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) ली जाएगी। पदवार वरीयता (Preference) हेतु लिंक खोलने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र (Online Preference Sheet) की प्रिंटआउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पदवार ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरने के पश्चात् इसमें किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(17) **प्रश्नगत परीक्षा मे अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक स्तर पर पूर्णतः औपबन्धिक है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि वह अभ्यर्थी निर्धारित अर्हताएँ धारित नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी का प्रश्नगत परीक्षा में अन्तिम रुप से चयन कर लिया जाता है तथा चयन संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाती है तो वैसी दशा मे भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की चयन संस्तुति शासन से वापस लेते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।**

(18) शासनादेश संख्या : 1/160592 दिनांक 10.10.2023 के नियम–6(5) में उल्लिखित प्राविधानानुसार संयुक्त परीक्षा आयोजित होने के कारण प्रश्नगत पदों हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2026 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में **समूह–ख** के रिक्त पदों हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 29 सितम्बर, 2026** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. रिक्तियों की संख्या : रिक्तियों की कुल संख्या 67 है। रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों का पदवार/विभागवार विवरण निम्नवत् है :–

पद कोड	पदनाम/ विभाग	वेतनमान	रिक्तियां	ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण					क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण
				GEN	SC	ST	OBC	EWS	
1.	डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक एवं सतर्कता विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	10	06	02	00	01	01	**उत्तराखण्ड महिला– 03** (अनारक्षित–02 अनुसूचित जाति–01) **राज्य आन्दोलनकारी–01** (अनारक्षित–01)
2.	पुलिस उपाधीक्षक (गृह विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	14	08	02	00	03	01	**उत्तराखण्ड महिला– 04** (अनारक्षित–02 अनुसूचित जाति–01 अन्य पिछड़ा वर्ग–01) **राज्य आन्दोलनकारी–01** (अनारक्षित–01)
3.	जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड (गृह विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	02	00	00	00	01	01	–
4.	वित्त अधिकारी/ कोषाधिकारी (वित्त विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	04	02	01	00	00	01	**उत्तराखण्ड महिला– 01** (अनारक्षित–01)
5.	सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	08	03	03	00	01	01	**उत्तराखण्ड महिला– 02** (अनारक्षित–01 अनुसूचित जाति–01)
6.	सहायक आयुक्त, राज्य कर (वित्त विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	01	00	00	00	01	00	–
7.	सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1 (शहरी विकास विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	01	00	00	00	01	00	–
8.	खण्ड विकास अधिकारी, (ग्राम्य विकास विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	05	03	02	00	00	00	**उत्तराखण्ड महिला– 01** (अनारक्षित–01)
9.	उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर/ विधि अधिकारी (विद्यालयी शिक्षा विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	01	01	00	00	00	00	–
10.	सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	01	01	00	00	00	00	–

पद कोड	पदनाम / विभाग	वेतनमान	रिक्तियां	ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण					क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण
				GEN	SC	ST	OBC	EWS	
11.	सहायक निदेशक / उपसचिव (संस्कृत शिक्षा विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	04	02	00	00	01	01	**उत्तराखण्ड महिला– 01** (अनारक्षित–01)
12.	सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर (श्रम विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	02	01	00	00	01	00	–
13.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (परिवहन विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	05	02	02	00	01	00	**उत्तराखण्ड महिला– 01** (अनुसूचित जाति–01)
14.	पौधशाला विकास अधिकारी श्रेणी–02 (कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग)	56,100-1,77,500 Level-10	01	01	00	00	00	00	–
15.	राज्य कर अधिकारी, (वित्त विभाग)	44,900-1,42,400 Level-07	05	05	00	00	00	00	**उत्तराखण्ड महिला– 01** (अनारक्षित–01)
16.	केस वर्कर (महिला कल्याण विभाग)	35,400-1,12,400 Level-06	03	02	01	00	00	00	**उत्तराखण्ड महिला– 01** (अनारक्षित–01)
योग			**67**	**37**	**13**	**00**	**11**	**06**	_

3. शासनादेश संख्या : 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05.06.2023 के अनुसार उक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगता की चिहिनत श्रेणियों का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	पदनाम	दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिह्नित श्रेणी
1.	डिप्टी कलेक्टर	OA, HH/PD, LV/PB, DW, AAV/AV
2.	पुलिस उपाधीक्षक	पद दिव्यांगता के आरक्षण से उन्मोचित (exempted) है।
3.	जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस	पद दिव्यांगता के आरक्षण से उन्मोचित (exempted) है।
4.	वित्त अधिकारी / कोषाधिकारी	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW, AAV/AV
5.	सहायक निदेशक / लेखा परीक्षा अधिकारी	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW, AAV/AV
6.	सहायक आयुक्त, राज्य कर	OA, OL, LV/PB, HH/PD, DW, AAV/AV
7.	सहायक नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी (श्रेणी–1)	OA, OL, LV/PB, HH/PD, D, LC, DW, AAV/AV
8.	खण्ड विकास अधिकारी	पद दिव्यांगता के आरक्षण से उन्मोचित (exempted) है।
9.	उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर / विधि अधिकारी	LV/PB, HH/PD, BH, OA, OL, OAL, LC, DW ,TH, HP, CP, AAV/AV, MDY/MW

क्र.सं.	पदनाम	दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिह्नित श्रेणी
10.	सहायक श्रम आयुक्त	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW, AAV/AV, BH, TH, HP
11.	सहायक निदेशक, संस्कृत	OA, LV/PB, HH/PD, B
12.	सहायक निदेशक, कारखाना/ब्वायलर	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW, AAV/AV
13.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	LC, AAV/AV
14.	पौधशाला विकास अधिकारी श्रेणी–02	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW, AAV/AV
15.	राज्य कर अधिकारी	OA, OL, LV/PB, HH/PD, DW, AAV/AV
16.	केस वर्कर	OA, OL, B, LV/PB, D, HH/PD, DW, AAV/AV, LC

नोटः– शासनादेश संख्या : 424269/XXX(2)/2026-E99439 दिनांक 18 अगस्त, 2026 के बिन्दु संख्या–03(3) के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त चिह्नित किये गये पदों पर सीधी भर्ती में दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थी को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है। इस तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थी को अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो।

4. **पद का स्वरूप :** पद कोड 1 से 6, 8 से 10, 12, 14 से 16 तक के पद राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त, पद कोड–11 एवं 13 राजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त एवं पद कोड–7 का पद अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त है।

5. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :** बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित तालिका के पद कोड–1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13 एवं 15 पर उल्लिखित पदों हेतु अभ्यर्थियों को **भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए।** उक्त तालिका के क्रम संख्या– 5, 9, 10, 11, 12, 14 एवं 16 पर उल्लिखित पदों हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित हैं–

विशेष अर्हता वाले पद

पद कोड	पदनाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
(5)	सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट से चार्टर्ड एकाउण्टेंट (सी0ए0) की उपाधि होनी चाहिए।
(9)	उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी (विद्यालयी शिक्षा विभाग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक उपाधि।
(10)	सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग)	सहायक श्रम आयुक्त के पद हेतु अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य/कल्याण, व्यापार प्रबन्ध, कार्मिक प्रबन्धन विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि अवश्य होनी चाहिए।
(11)	सहायक निदेशक/उपसचिव (संस्कृत शिक्षा विभाग)	**(क)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में परास्नातक उपाधि अथवा समकक्ष।

पद कोड	पदनाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
		(ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री / बी0एड0 उपाधि।
(12)	सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर (श्रम विभाग)	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल **या** इलैक्ट्रिकल में स्नातक उपाधि **या** उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए।
(14)	पौधशाला विकास अधिकारी श्रेणी–02 (कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान में विज्ञान स्नातक (कृषि), बी0एस0सी0 (कृषि) या उद्यान विषय में समकक्ष उपाधि।
(16)	केस वर्कर (महिला कल्याण विभाग)	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या **(दो)** विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो या **(तीन)** केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नाकोत्तर उपाधि।

नोट : उक्तांकित तालिका के पद कोड–9 पर उल्लिखित 'विधि अधिकारी पद हेतु 'उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक सवंर्ग) नियमावली 2013' के भाग–3 के भर्ती का स्रोत के बिन्दु संख्या–5(छ)(ii) के अनुसार कार्यरत् अधिकारियों में से जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो की तैनाती की जायेगी।

6. अधिमानी अर्हता– बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित तालिका के पद कोड–1, 2, 4, 6, 8, 14 एवं 15 पर उल्लिखित पदों हेतु अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

इसके अतिरिक्त उक्त तालिका के पद कोड–3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 16 पर उल्लिखित पदों हेतु अधिमानी अर्हताएं निम्नवत है–

पद कोड	पदनाम	अधिमानी अर्हता
3, 5, 7, 12, 13	जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, (गृह विभाग) सहायक निदेशक / लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त विभाग), सहायक नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी (श्रेणी–1) (शहरी विकास विभाग), सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर (श्रम विभाग) एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (परिवहन विभाग)	**(एक)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

पद कोड	पदनाम	अधिमानी अर्हता
9	उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी (विद्यालयी शिक्षा विभाग)	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण (बी0एड0) उपाधि। **(दो)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या **(तीन)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
10	सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग)	**(एक)** प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, **या** **(दो)** नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या **(तीन)** एन0एस0एस0 का "बी" अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
11	सहायक निदेशक/उपसचिव (संस्कृत शिक्षा विभाग)	**(एक)** प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, **या** **(दो)** नेशनल कैडेट–कोर का ''बी'' अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, **या** **(तीन)** खेल प्रतियोगिताओं में राज्य **या** राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया हो।
16	केस वर्कर (महिला कल्याण विभाग)	**(एक)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि। **(दो)** सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव।

7. शारीरिक मापदण्ड :

पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के परिशिष्ट–''ख'' के प्राविधानों के अनुसार पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत् है–

(क) ऊँचाई :–

कमांक	वर्ग	पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
1	सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग	167.7 सेमी.	152 सेमी.
2	अनुसूचित जनजाति	160 सेमी.	147 सेमी.
3	पर्वतीय क्षेत्र	162.6 सेमी.	147 सेमी.

(ख) सीने की माप (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) :–

क्रमांक	वर्ग	बिना फुलाये	फुलाने पर
1	अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	76.5 सेमी0	81.5 सेमी0
2	सामान्य व अन्य अभ्यर्थी	78.8 सेमी0	83.8 सेमी0

(ग) शारीरिक वजन (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) : न्यूनतम 45 किग्रा0

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आँख 6/6 व दूसरी आँख में 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दायीं आँख 6/6 और बाँयें हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बांयी आँख 6/6 होनी चाहिए और वर्णाधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए।

अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियाँ व अन्य समस्याएं जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्य माना जाएगा। उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन में अभ्यर्थी के उपयुक्त होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी के अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

जिला कमाण्डेन्ट, होमगाड्र्स पद हेतु

'उत्तराखण्ड होमगाड्र्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2016' के प्राविधानों के अनुसार जिला कमाण्डेन्ट, होमगाड्र्स पद हेतु शारीरिक योग्यता निम्नवत् है–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से यथा Color Blindness, Vericose veins से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा ली गयी स्वास्थ्य परीक्षा में सफल पाया जाए; परन्तु यह और कि सेवा में किसी पद पर किसी पुरूष अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि उसकी ऊंचाई और सीने की माप निम्नलिखित मानकों के अनुसार न हो:–

क्रमांक	वर्ग	ऊँचाई	सीना (बिना फुलाए)	सीना (फुलाने पर)
1	पुरूष अभ्यर्थी	165 से0मी0	84 से0मी0	89 से0मी0
2	महिला अभ्यर्थी	150 से0मी0	–	–
3	पुरूष अभ्यर्थी (उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए)	160 से0मी0	84 से0मी0	89 से0मी0

नोटः 01. अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह भलीभाँति सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक अर्हताऐं रखते हैं।

02. पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु ऊंचाई एवं सीने की माप में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को परिशिष्ट–06 पर संलग्न प्रारूप में विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व निर्गत पर्वतीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

03. जिला कमाण्डेन्ट, होमगाड्र्स पद हेतु ऊंचाई में छूट हेतु उत्तराखण्ड राज्य के पुरूष अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक निर्गत स्थाई निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. **आयु :** आयु सीमा न्यूनतम 21 व अधिकतम 42 वर्ष है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2026 है, अभ्यर्थी 01 जुलाई, 2026 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए। तद्नुसार अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2005 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

9. **अधिकतम आयु सीमा में छूटः** विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

(i) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को **शासनादेश संख्या : 1399 दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को **शासनादेश संख्या : 1244, दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा समूह ''क'' तथा ''ख'' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(iii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए **शासनादेश संख्या : 1244 दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(iv) **शासनादेश संख्या : 17/2/1981–कार्मिक–2, दिनांक 28 फरवरी, 1985** के अनुसार समूह 'क' तथा समूह 'ख' के पदों में, जिनमें सीधी भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर की जाती है, उनमें नियुक्ति के लिए सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी :–

(1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,

(2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।

10. **आरक्षण :** उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। **ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।**

(क) **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, अनाथ बच्चे, राज्य आंदोलनकारी, कुशल खिलाड़ी तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) अधिसूचना संख्या **: 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07.03.2019** द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम 2019' में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए अर्थात् **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2025–26 की आय की गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मान्य होना चाहिए, अर्थात् 01 अप्रैल, 2026 से पूर्व निर्गत ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।** उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये। **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।**

(ग) **शासनादेश संख्या : 48/XVII-A-3/2023–01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05 जून 2023** में दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हित किये गये हैं। दिव्यांगजनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत की विकलांगता** होना अनिवार्य है।

(घ) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : **09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022, दिनांक 10 जनवरी, 2023** के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड की अधिवासी महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(ङ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ **शासनादेश संख्या : 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009** के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। **उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 145/XXXVI(3)/2026/30(1)/2026 दिनांक 24 अप्रैल, 2026 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अधिनियम, 2026 के धारा सं–03 (1) (एक) के अनुसार,** ''लोक सेवाओं और पदों में, रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का पांच प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिएः परन्तु **''एक बार पूर्व सैनिक हेतु अनुमन्य आरक्षण के आधार पर यदि कोई पूर्व सैनिक लोक सेवाओं और पदों में नियुक्ति/नियोजन प्राप्त कर लेगा तो इसके पश्चात् उसे पूर्व सैनिक के रूप में प्रदत्त आरक्षण का लाभ पुनः लोक सेवाओं और पदों में अनुमन्य नहीं होगा।''**

राज्याधीन सेवाओं में सिविल पदों/सेवाओं में शामिल होने से पहले विभिन्न परीक्षाओं/रिक्तियों के लिये आवेदन करने वाले पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ दिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या : 277/XXX(2)2021-30(21)/2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :–If an ex-serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he/she can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman for any subsequent employment. However, to avail of this benefit, an ex-serviceman as soon as he/she joins any civil employment, should give self declaration/undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he/she has applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to the ex-serviceman.

पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(च) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के आलोक में दिया जाएगा।

(छ) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत 'उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021' एवं शासनादेश संख्या : 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022

के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त आरक्षण के दावे के समर्थन में **सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।**

(ज) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 117/XXXVI(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा निर्गत 'उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024', शासनादेश संख्या : 208271/XXX(2)/2024-E40510, दिनांक 01 मई, 2024 एवं शासनादेश संख्या : 172/XXXVI (3)/2025/13(01)/2025, दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी कुशल खिलाड़ियों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। प्रश्नगत विज्ञापन में उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी हेतु रिक्ति आरक्षित न होने के कारण उक्त उपश्रेणी के अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

(झ) शासनादेश संख्या : 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के सेवाओं हेतु **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य वैध होना चाहिये। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में भारत सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।**

(ञ) उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सख्या : 244/XXXVI(3)/2024/48 (1)/2023 दिनांक 18 अगस्त, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये। शासनादेश संख्या : 139/XX(8)/24–27(रा0आ0)/2018 दिनांक 24.11.2024 के क्रम में **जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके है, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। अतः प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों का दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा मे राज्य आन्दोलनकारी कोटे में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।**

(ट) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ठ) ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–3"** में उल्लिखित **प्रारुप/उत्तराखण्ड सरकार** द्वारा निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ आयोग द्वारा मांगे जाने पर सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–3"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

11. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

12. चरित्र : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थिति : सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

14. शारीरिक स्वस्थता : किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–II भाग–III के अध्याय–III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

15. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online)

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **pscuk.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **pscuk.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित,** अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के आधार पर एक या एक से अधिक पदों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी अपने शैक्षिक विवरण के अनुसार **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **reupload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Check box** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। ततपश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म

पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।

7. **Final Submission के उपरान्त आवेदन–पत्र** में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर **ओ0टी0पी0 (OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं।

(2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

16. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रियाः–

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

- **(i)** ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।
- **(ii)** **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- **(iii)** जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।
- **(iv)** लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- **(v)** अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- **(vi)** **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा एवं अभ्यर्थी का शुल्क का भुगतान कर **Edit/Correction** की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। यदि अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को **Edit/Correction** की प्रक्रिया को **Final Submit** बटन पर क्लिक कर पूर्ण करना होगा।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जायेगा।

(ix) इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन **(Edit/Correction)** के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के संबंध में प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

17. **शुल्क :** प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Aplication Fee)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fee with Tax)	कुल शुल्क (Total Fee)
01.	अनारक्षित	₹ 150.00	₹ 16.36	₹ 166.36
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	₹ 150.00	₹ 16.36	₹ 166.36
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	₹ 60.00	₹ 16.36	₹ 76.36
04.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	₹ 150.00	₹ 16.36	₹ 166.36
05.	उत्तराखण्ड दिव्यांगजन (चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	₹ 60.00	₹ 16.36	₹ 76.36
06.	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट : (1) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/कुशल खिलाड़ी एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा :** सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) प्रश्नगत विज्ञापन में आरक्षण की जिस उर्ध्व श्रेणी के पद विज्ञापित नहीं किये गये हैं, वह अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं तथा इसी प्रकार विज्ञापन में क्षैतिज आरक्षण की जिन उपश्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं किये गये हैं, वे अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी यथा–अनु0जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

18. अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :

आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules– 2013 एवं प्रथम संशोधन 2016** और **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 (यथा संशोधित)** आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(क) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्देश :

(1) प्रारम्भिक परीक्षा एक छंटनी परीक्षा (Screening Examination) है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेंगे तथा प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्नपत्र होंगे तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(3) **प्रारम्भिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न–पत्र (सामान्य बुद्धिमता परीक्षा) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) अर्हकारी प्रकृति का होगा, जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।** प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम प्रथम प्रश्नपत्र (सामान्य अध्ययन) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवीणता के अनुसार तैयार किया जाएगा।

(4) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)/मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(5) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें।

(6) **परीक्षा तिथि, समय, परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र** के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)**: सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(8) **उत्तर कुँजी आपत्ति–** आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तर कुंजी के प्रकाशन एवं आपत्ति निस्तारण हेतु Online Question Paper Objection Module के अन्तर्गत दो चरणों में आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी।

प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के A सीरीज के प्रश्न पत्र को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेवसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उक्त प्रश्नपत्र के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र से सम्बधित प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना (Structure of Questions and Options) के संबंध में अपनी आपत्ति निःशुल्क प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के सम्बन्ध में प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करवाते हुये आयोग द्वारा औपबन्धिक उत्तर कुंजी तैयार की जायेगी।

तदोपरान्त, द्वितीय चरण में औपबन्धिक उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जायेगा, अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नों के उत्तर (सही / गलत विकल्प) के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू 50/– का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों का विषय–विशेषज्ञों से निस्तारण करवाने के उपरान्त विषय–विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जायेगी, जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम निर्मित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जायेगा।

दोनों चरणों में आपत्तियाँ केवल Online माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। Online माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं होगी। अन्तिम उत्तर कुंजी के सापेक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि नियत समय के अंतर्गत निर्धारित माध्यम से सप्रमाण अपने दावे प्रस्तुत करें।

(9) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड :** वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(ख) मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) हेतु निर्देश :

(1) मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख (परिशिष्ट–8) आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित समस्त अंकतालिका, समस्त प्रमाण–पत्र / उपाधि, अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) व अधिमानी अर्हता प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो), एवं दावित आरक्षण श्रेणी / उपश्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां तथा आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र / अंक पत्र तथा ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र की प्रिंट आउट प्रति।

(ख) अभ्यर्थी को उर्ध्वाधर / क्षैतिज आरक्षण हेतु एवं अधिकतम आयु / शुल्क में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि को वैध हो।

(2) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों से आयोग के निर्देशानुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित ऑनलाइन परीक्षा शुल्क प्राप्त किया जायेगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) **मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क ₹250-00 उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क ₹150-00 तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी, के अभ्यर्थियों से ₹100-00 लिया जाएगा तथा उत्तराखण्ड के चिह्नित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों से ₹100-00 एवं उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों से मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।**

(4) **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को 'ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका–2026' (समय–समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शर्तानुसार अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।** अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(5) **अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।** जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(6) **प्रश्नगत विज्ञापन में विभिन्न विभागों के पद विज्ञापित किये गये हैं उक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र में पदवार वरीयता का अंकन करना आवश्यक है।**

(7) **मुख्य परीक्षा** का आयोजन **हल्द्वानी** एवं **हरिद्वार** के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। इस संबंध में प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र के नगर हेतु विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा में प्रश्न–उत्तर पुस्तिका {Question-Answer Booklet (QAB)} का प्रयोग किया जायेगा। इस पुस्तिका में अंकित प्रश्नो के उत्तर अभ्यर्थी को पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही लिखना होगा।

(8) अभ्यर्थी प्रश्न–उत्तर पुस्तिका {Question-Answer Booklet (QAB)} के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा '**अबस**' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा '**कखग**' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय टिप्पणी लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।

(9) प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल हल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

(10) प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी प्रश्न–उत्तर पुस्तिका Question-Answer Booklet (QAB) कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न कर ली जाय। परीक्षा समय समाप्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।

(11) अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(12) प्रश्न–उत्तर पुस्तिका {Question-Answer Booklet (QAB)} में दिये गये निर्धारित स्थान पर ही प्रश्न का उत्तर लिखे। रफ कार्य (Rough Work) के लिए प्रश्न–उत्तर पुस्तिका के अन्त में पृष्ठ दिये गये है।

(13) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायगी–

- **(i)** पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- **(ii)** मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।
- **(iii)** प्रश्न–उत्तर पुस्तिका Question-Answer Booklet (QAB) में प्रश्नोत्तर हेतु दिये गये निर्धारित स्थान से अन्यत्र लिखने पर उक्त उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- **(iv)** प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।
- **(v)** प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।
- **(vi)** प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।
- **(vii)** प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में अप्रासंगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।
- **(viii)** प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- **(ix)** प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासंगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।
- **(x)** प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या **'अबस'** एवं पते के स्थान पर ABC या **'कखग'** के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- **(xi)** उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(ग) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देश :

(1) मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पदवार ऑनलाइन वरीयता भरकर ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) मूल अभिलेखों से मिलान के समय ही अभ्यर्थी को स्व–प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(4) **केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।**

(5) पदों का आवंटन प्रवीणता सूची, शैक्षिक अर्हता, आयु, सेवा नियमावली, श्रेणी–उपश्रेणीवार तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गयी ऑनलाइन वरीयता के आधार पर किया जायेगा। प्रश्नगत विज्ञापन में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रपत्र में दी गयी वरीयता में से एक ही पद के सापेक्ष चयन किया जायेगा, अर्थात् किसी अभ्यर्थी के एक पद पर चयन होने के पश्चात अन्य पदों हेतु उस अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा। पद हेतु वरीयता प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस सम्बन्ध में किसी अभ्यावेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

(6) मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार प्रवीणता के आधार पर अंतिम चयन परिणाम में अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

(7) आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022' (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पदों के सापेक्ष दी गयी वरीयता के आधार पर तैयार किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान करने के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

19. सामान्य निर्देश :

(1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(3) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(4) ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(6) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में मा0 आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत करना होगा।

(8) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रारम्भिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(9) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश" **(परिशिष्ट–4)** के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश **(परिशिष्ट–5)** पर उपलब्ध हैं। **उत्तराखण्ड राज्य के बाहर के पात्र दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक मांगे जाने पर, उनको भी नियमानुसार श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जाएगा।**

(10) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(11) अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर भी प्रसारित की जायेगी।

(12) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं।

(14) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उक्तानुसार नकल करने पर सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(15) यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।

(16) **कदाचार के दोषी** पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules–2013 (प्रथम संशोधन–2016)** के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(17) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(18) परीक्षा भवन में आचरण : परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(19) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात
(क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, **(ख)** अनुचित दबाव डालना, या **(ग)** परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा

3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा

4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा

5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है,
(क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना
(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना,
(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या

7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा

9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, प्रश्नपत्र/उत्तर पुस्तिका या उसके किसी पृष्ठ को परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा

10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या

11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा

13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे
(क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा
(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है

(ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है।

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक

(i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, मा0 आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(20) **न्यूनतम अर्हक अंक : उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया विनियमावली–2022 समय–समय पर यथा संशोधित विनियमावली** के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न प्रश्न–पत्रों/विषयों/चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवीणता के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु **निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (परिशिष्ट–7)** में उल्लिखित हैं।

(21) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(22) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(23) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

-Sd-
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।

<u>परिशिष्ट–1</u>

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा–2026' हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र के कॉलम में प्रारम्भिक परीक्षा के लिए निम्नांकित नगरों में से अपना विकल्प प्रस्तुत करें:–

नगर का नाम	**नगर कोड**
अल्मोड़ा	**01**
रानीखेत	**02**
चम्पावत	**03**
पिथौरागढ़	**04**
रामनगर	**05**
हल्द्वानी	**06**
रूद्रपुर	**07**
काशीपुर	**08**
खटीमा	**09**
बागेश्वर	**10**
पौड़ी	**11**
श्रीनगर	**12**
कोटद्वार	**13**
गोपेश्वर	**14**
कर्णप्रयाग	**15**
नई टिहरी	**16**
रूद्रप्रयाग	**17**
उत्तरकाशी	**18**
देहरादून	**19**
विकासनगर	**20**
ऋषिकेश	**21**
हरिद्वार	**22**
लक्सर	**23**
रूड़की	**24**

नोट–1. अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते है, जिसके संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। **केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।**

2. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु **मुख्य/लिखित परीक्षा** का आयोजन **हल्द्वानी** एवं **हरिद्वार** नगर में स्थित परीक्षा केन्द्रों में किया जायेगा।

<u>परिशिष्ट–2</u>

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु परीक्षा योजना

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा हेतु क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं यथा–

1. प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति)
2. मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति)
3. साक्षात्कार परीक्षा

1. प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति)

क्र0सं0	प्रश्नपत्र	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	समय अवधि
1	प्रश्नपत्र प्रथम	सामान्य अध्ययन	150 (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का)	150	02 घण्टे
2	प्रश्नपत्र द्वितीय	सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा	100 (प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का)	150	02 घण्टे

नोटः–1. प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

2. प्रथम प्रश्नपत्र (सामान्य अध्ययन) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची का निर्माण किया जाएगा। द्वितीय प्रश्नपत्र (सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा) एक अर्हकारी परीक्षा है, जिसमें सभी श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

2. मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति)

प्रश्नपत्र	विषय	समयावधि	पूर्णांक
1.	सामान्य हिन्दी	3 घण्टा	150
2.	निबंध	3 घण्टा	150
3.	सामान्य अध्ययन–I **(भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज)**	3 घण्टा	200
4.	सामान्य अध्ययन–II **(शासन व्यवस्था, संविधान, शासन–प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध)**	3 घण्टा	200
5.	सामान्य अध्ययन–III **(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन)**	3 घण्टा	200
6.	सामान्य अध्ययन–IV **(नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरूचि)**	3 घण्टा	200
7.	सामान्य अध्ययन–V **(उत्तराखण्ड राज्य की जानकारी)**	3 घण्टा	200
8.	सामान्य अध्ययन– VI **(उत्तराखण्ड राज्य की जानकारी)**	3 घण्टा	200
	लिखित परीक्षा का कुल योग		**1500**

3. **साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षा** — **150 अंक**

कुल योग (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा) — **1650 अंक**

नोट– सभी प्रश्न –पत्र अनिवार्य है। सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा पाठयक्रम

प्रथम प्रश्न पत्र–सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्याः 150 **पूर्णांक : 150** **समय अवधि : 02 घण्टे**

नोट : कुल प्रश्न 150 में से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में पूछे जायेंगे।

यूनिट – 1

भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आन्दोलन

प्रागैतिहासिक काल – हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संगम युग; महाजनपद और मगध का उत्कर्ष; धार्मिक आंदोलन–जैनधर्म, बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव मत; पारसी एवं यूनानी संपर्क और संबंधित अन्य पहलू।

मौर्य साम्राज्य – चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसका धम्म; मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला; कुषाण और संबंधित अन्य पहलू।

गुप्त साम्राज्य – स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं पतन; चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, स्कन्दगुप्त; गुप्तकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य एवं कला और संबंधित अन्य पहलू।

उत्तर–गुप्त काल – हर्षवर्द्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चन्देल, परमार, चौहान; 650 ई0 से 1200 ई0 के मध्य सामाजिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक विकास और संबंधित अन्य पहलू।

भारत में इस्लाम का आगमन – इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद–बिन–तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकन्दर लोदी और इब्राहीम लोदी; दिल्ली सल्तनतकालीन प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणः समाज और अर्थव्यवस्था, इंडो–इस्लामिक वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य, सूफीमत और भक्ति आंदोलन और संबंधित अन्य पहलू।

मुगल साम्राज्य– बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहॉ, औरंगज़ेब और मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल प्रशासन, जागीरदारी एवं मनसबदारी व्यवस्थाएं, मुगलकालीन समाज और अर्थव्यवस्थाः साहित्य कला एवं स्थापत्य; मराठा, सिख एवं जाट और संबंधित अन्य पहलू।

यूरोपियों का आगमन– पुर्तगाली, डच और फ्रॉंसीसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी और ब्रिटिश प्रशासन–(1758–1857) और संबंधित अन्य पहलू ।

ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव और संबंधित अन्य पहलू।

उन्नीसवीं सदी के सामाजिक, धार्मिक सुधार आन्दोलन और संबंधित अन्य पहलू ।

भारत के वाइसराय (1858–1947)

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857), उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के गैर–आदिवासी, आदिवासी, जातीय एवं किसान आंदोलन, 1857 के बाद का ब्रिटिश शासन और संबंधित अन्य पहलू, भारत सरकार अधिनियम (1858), 1858 के बाद की प्रशासनिक, सामाजिक एवं न्यायिक प्रणाली– प्रशासनिक, सामाजिक, शिक्षा एवं न्यायिक सुधार और संबंधित अन्य पहलू। भारत में राष्ट्रवाद का विकास; राष्ट्रीय आंदोलन का उदय।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस– उद्गम, उदारवादी एवं अतिवादी दल
बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन (1907), मार्ले–मिण्टो सुधार (1909)
प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आन्दोलन– होमरूल आंदोलन, लखनऊ समझौता(1916), 1917 की अगस्त घोषणा, गांधी युग, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम(1919), रौलेट अधिनियम (1919), जलियावाला बाग नरसंहार(13 अप्रैल, 1919), खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरीचौरा की घटना, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929), सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्यूनल अवार्ड एवं पूना समझौता।
भारत सरकार अधिनियम (1935) – पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, आजाद हिन्द फौज, अन्तरिम सरकार, माउण्टबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम(1947), भारत का विभाजन, आजादी के बाद का भारत, नवीन क्रियाकलाप एवं सम्बन्धित संगठन और संबंधित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड का इतिहास एवं संस्कृति

प्रागैतिहासिक काल
आद्य ऐतिहासिक काल
उत्तराखण्ड की प्राचीन जनजातियां
कुणिन्द एवं यौधेय
कार्तिकेयपुर राजवंश
कत्यूरी राजवंश
गढ़वाल का परमार राजवंश; कुमाऊँ का चंद राजवंश,
उत्तराखण्ड में गोरखा आक्रमण एवं शासन
ब्रिटिश शासन
टिहरी रियासत
उत्तराखण्ड में स्वतंत्रता संघर्ष– प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) एवं उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखण्ड का योगदान; उत्तराखण्ड के जनआंदोलन।
संबंधित अन्य पहलू।

यूनिट– 2

भारत एवं विश्व का भूगोल

विश्व का भूगोल : विविध शाखाएं, पृथ्वी एवं सौरमण्डल, स्थल मंडल, अक्षांश, देशान्तर, समय, परिभ्रमण, परिक्रमण, ग्रहण, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, जलमंडल, झीलें एवं चट्टान, वायुमण्डल की परतें, संरचना, सौर्यताप, आर्द्रता, महासागरीय नितल की बनावट, धाराएँ, ज्वार– भाटा, तापमान एवं खारापन, कृषि, पौधे, जन्तु, पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रजातियां एवं जनजातियां, प्रवास, परिवहन, संचार, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, पर्यावरण एवं विश्व व्यापार (क्षेत्रीय आर्थिक गुट), भौगोलिक शब्दावली और संबंधित अन्य पहलू।

भारत का भूगोल : भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, अपवाह प्रणाली, वनस्पति, पौधे, जन्तु, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बिजली, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या एवं नगरीकरण, परिवहन, संचार तंत्र, विदेशी व्यापार, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां, सामाजिक परिस्थितियां, अधिवास एवं प्रदूषण और संबंधित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड का भूगोल : भौगोलिक अवस्थिति, भू–आकृति एवं संरचना, जलवायु, जल प्रवाह तन्त्र, वनस्पति, वन्य जीवन, खनिज़, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मुख्य नगर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां, परिवहन तन्त्र, ऊर्जा संसाधन एवं औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं और संबंधित अन्य पहलू।

यूनिट –3

भारतीय राजव्यवस्था

राष्ट्रीय –

1. संसदीय प्रणाली।
2. गठबंधन की राजनीति।
3. क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद, और नक्सलवाद।
4. कल्याण : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक (संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी दायरा, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रभाव के संदर्भ में)
5. लिंग राजनीति : समानता, आरक्षण, अधिकारिता, कल्याण और सुरक्षा, सुरक्षा के उपाय।
6. भारत में चुनाव सुधार।
7. शासन : संस्थान और प्रक्रिया।
8. राष्ट्रीय एकता।
9. भारत की नाभिकीय नीति।
10. पर्यावरणीय समस्याएं।
11. आर्थिक और वित्तीय सुधारः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण (एल0पी0जी0) और राजनीति तथा शासन पर इसके प्रभाव, आयोजना तंत्र तथा आयोजना की प्रक्रिया और बैंकिग क्षेत्र (आर0बी0आई0, नाबार्ड और आई0डी0बी0आई0 आदि)।
12. भारत में संस्थागत सुधार अर्थात, एम0एन0आर0ई0जी0ए0, एन0आर0एच0एम0, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 आदि, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के तरीके।
13. देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी।
14. सिविल सोसायटी।
15. लोकपाल और लोकायुक्त।
16. सम्बन्धित अन्य पहलू।

अन्तर्राष्ट्रीय –

1. संयुक्त राष्ट्र।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएं।
3. वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं।
4. सार्क, आसियान और साफ्टा एवं अन्य क्षेत्रीय गुट।
5. विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोणः निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और वैश्विकता।
6. ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व।
7. सम्बन्धित अन्य पहलू।

भारत का संविधान –

1. भारत में संविधानात्मक विकास।
2. संवैधानिक असैम्बली।
3. उद्देशिका।
4. भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं (इसके विभिन्न भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सिद्धांत सहित)
5. मौलिक अधिकार और कर्तव्य।
6. राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत।
7. संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन।
8. भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली।
9. संसदीय समितियां (लोक लेखा समिति, आकलन समिति और संयुक्त संसदीय समिति)।
10. संवैधानिक निकाय : चुनाव आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
11. न्यायपालिका : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
12. सम्बन्धित अन्य पहलू।

भारतीय राजनीति –

1. **संघीय कार्यपालिका :** राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मंत्रिमण्डल सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय, और प्रधानमंत्री कार्यालय।
2. **राज्य कार्यपालिका :** राज्यपाल, मुख्य मंत्री और मंत्री परिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव।
3. भारत में संसद और राज्य विधान सभाएं।
4. चुनाव तंत्र और प्रक्रिया।
5. राजनीतिक दल और दबाव समूह।
6. राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों के संबंध ।
7. भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास।
8. राजनीतिक सामाजीकरण की एजेंसियां।
9. भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और विकास।
10. भारत में राज्यों का पुनर्गठन।
11. संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन।
12. प्रशासनिक सुधार (विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों सहित)।
13. जिला प्रशासन।
14. सम्बन्धित अन्य पहलू।

पंचायती राज –

1. स्थानीय शासन : 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम।
2. राज्य वित्त आयोग : कार्य और भूमिका।
3. स्थानीय निकायों को अधिकार देना।
4. भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप : नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद।
5. सम्बन्धित अन्य पहलू।

लोक नीति –

1. सुशासन : सीटिजन चार्टर और ई–गवर्नेस।
2. भ्रष्टाचार का निवारण और लोकपाल तथा लोकायुक्त।
3. सूचना का अधिकार।
4. शिक्षा का अधिकार।
5. सेवा का अधिकार।
6. सम्बन्धित अन्य पहलू।

अधिकारों से संबंधित मुद्दे –

1. मौलिक अधिकार।
2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
3. भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला और बाल तथा बुजुर्गो के संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिकार।
4. सम्बन्धित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड की राज व्यवस्था–

शासन प्रणाली, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केन्द्र राज्य संबंध, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा–परीक्षण, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित प्राविधान, राज भाषा, विशेष राज्य के चयन के मापदण्ड, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनैतिक दल एवं निर्वाचन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, सामुदायिक विकास, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे (शिक्षा, रोजगार, विकास आदि), सुशासन (भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई–गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना आदि) और सम्बन्धित अन्य पहलू।

यूनिट – 4

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

राष्ट्रीय –

1. आर्थिक नीति : भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी0 आई), मुद्रास्फीति, समाहिक प्रगति, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरणीय संरक्षण।
3. गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम, मानव विकास सूचकांक (एच डी आई)।
4. जनगणना एवं भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं। आर्थिक विकास और जनसंख्या। नगरीकरण से सम्बन्धित मुद्दे।
5. केन्द्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं।
6. भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं।
7. भारत के प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार (वैदेशिक क्षेत्र), वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं तथा आर्थिक विकास की दिशा।

8. कर सुधार एवं बैंकिंग व्यवसाय।
9. योजनागत विकास।
10. राष्ट्रीय विकास परिषद।
11. राष्ट्रीय आय।
12. भारतीय कृषि (कृषि उत्पादकता, पशुधन, हरित क्रान्ति, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न मूल्य, बफर स्टाक, कृषि नीति, कृषि/बीज बीमा योजना)।
13. भारतीय वित्तीय/मुद्रा/पूंजी/प्रतिभूति बाजार।
14. बीमा क्षेत्र, कर संरचना, लोक वित्तीय एवं राजकोषीय नीति।
15. अवधारणाएं (व्यावर्ती योजना, स्वेट शेयर, हवाला, गिल्ट एज बाजार, काला बाजार, काला धन इत्यादि)।
16. सम्बन्धित अन्य पहलू।

<u>अतंर्राष्ट्रीय</u> –

1. विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.), अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (IMF), विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN), दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार (SAPTA), ब्रिक्स (BRICS), ओपेक (OPEC) एवं अन्य क्षेत्रीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संगठन।
2. पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी।
3. विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (FERA), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA),प्रिवैंशन ऑफ मनी लैडरिंग एक्ट (PMLA)।
4. विश्व मानव सूचकांक।
5. पारिभाषिक शब्दावली।
6. सम्बन्धित अन्य पहलू।

<u>उत्तराखण्ड</u> –

अर्थव्यवस्था एवं बजट की मुख्य विशेषताएं, प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं, कर/आर्थिक सुधार, योजनागत विकास, कृषि, पशुधन, खाद्यान्न सुरक्षा, लोकवित्त, राजकोषीय नीति, जनगणना, मानव विकास सूचकांक, पर्यटन, जड़ी–बूटी एवं संस्कृति का आर्थिक विकास में योगदान और सम्बन्धित अन्य पहलू।

<u>यूनिट –5</u>

<u>सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :</u>

सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है।

भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकीः इतिहास और योगदान

समसामयिकी– राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पुरस्कार, खोज, अन्वेषण, विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, सौर प्रौद्योगिकी, मानव कल्याण, स्वास्थ्य और औषध के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, पर्यावरणीय जागरूकता, प्राकृतिक जैव संसाधन इत्यादि।

राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विषयक अन्य संगठन– आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईपीसीसी, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन में कम्प्यूटरों का अनुप्रयोग, ई–गवर्नेन्स आदि।

पारिस्थिति और पर्यावरण– पर्यावास, सामुदायिक पर्यावरणीय प्रणाली, संरचनात्मक कार्य और अनुकूलन, वनस्पतियां एवं उनका वर्गीकरण, परम्परागत खेती, वाणिज्यिक कृषि एवं कृषि का वाणिज्यिकरण, कृषि फसलों का उत्पादन एवं उनका क्षेत्रीय वितरण (राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर), कृषि समस्याएं, कृषिक विविधता इत्यादि।

प्राकृतिक संसाधन–मृदा, जल, वायु, वन, घासभूमि, आर्द्र भूमि, समुद्रीय, नवीनीकरण और गैर नवीनीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन।

जैव विविधता– जोखिम और संरक्षण, आचारनीति और उपयोग

पर्यावरणीय संकटः वायु, जल, मृदा और अंतरिक्ष प्रदूषण, नियम और अधिनियम, भूमंडलीय ऊष्मता।

भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन–कारण और प्रभाव

सुदूर संवेदन की अवधारणा और जीआईएस अनुप्रयोग।

मौसम पूर्वानुमान।

स्प्रैडशीट (विस्तारण) का अनुप्रयोग और आधार आंकड़ों का अनुप्रयोग।

भौतिकी (फिजिकल) विज्ञान/जागरूकता – कम्प्यूटर और सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत, मौलिक कम्प्यूटर संगठन, बूलियन बीजगणित, लॉजिक गेट्स, समस्या समाधान तकनीकें और कम्प्यूटर भाषाएं, व्यापारिक आंकड़ा प्रक्रमण, आंकड़ा सम्प्रेषण और कम्प्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा, इंटरनेट और मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों का उपयोग, क्लाउड कम्प्यूटिंग, पीसी का अनुप्रयोग, साफ्टवेयर पैकेज, साईबर अधिनियम के मूलभूत तत्व आदि।

पदार्थ और इसकी अवस्थाएं, अम्ल, क्षार और लवण, तत्वों का उद्‌गम और वितरण, कठोर जल और मृदु जल, भारी जल (हैवी वाटर), शुद्धिकरण, बैट्रियां, ईधन सैल, विनाषन, विखंडन और संलयन, समानता के तत्व, पोलिमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, हार्मोन्स, विटामिन, औषध और स्वास्थ्य देखभाल, डाईज़, कॉस्मेटिक, खाद्य रसायन–विज्ञान आदि।

यांत्रिकी, पदार्थ की सामान्य विशेषताएं, तरंग गति, ध्वनि और इलैक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें, ऊष्मा, प्रकाश।

चुम्बकत्व, विद्युत, परमाणु और नाभिकीय भौतिकी, खगोल विद्या और अंतरिक्ष भौतिकी, एक्स–रे और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी आदि।

जीवन (Life) विज्ञान – शाखाएं, योगदान, प्राकृतिक संसाधन और उनका प्रबंधन।

जैव–विविधता, जैव–प्रौद्योगिकी, अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी, जैव उत्पाद, टीके, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, आनुवांशिक रूप से आशोधित जीवधारी, भूमंडलीय ऊष्मता और जलवायु परिवर्तन, पशुपालन, पादप और मानव कल्याण इत्यादि।

वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली।

उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन आदि में उनका योगदान इत्यादि।

यूनिट –6

राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनायें।

महाद्वीप एवं विश्व के देश, अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण घटनाऐं, विश्व के आश्चर्य, विश्व के धर्म, भारतीय राज्य, विश्व/भारत की प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत में वरीयता अनुक्रम, विश्व/भारत के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख दर्रें, भारत के नृत्य, सांस्कृतिक संस्थान, संगीत, चित्रकला, भारतीय भाषायें, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, मुख्य खेल तथा खेलों से सम्बन्धित शब्दावली, सम्मेलन/प्रदर्शनी/महोत्सव/कांफ्रेस, प्रमुख रिपोर्ट और सम्बन्धित अन्य पहलू।

द्वितीय प्रश्न पत्र– सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्या: 100 पूर्णांक : 150 (प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का) समय अवधि : 02 घण्टे

यूनिट – 1

प्रश्नों की संख्या 80 पूर्णांक : 120 अंक

1. अभिक्षमता परीक्षा

कथन/वचन, सत्य और असत्य कथन (न्यायवाक्य), एनोलोजी, समरूपता व असमानता, निरूपण, प्रतिबिम्ब/प्रतिरूप

2. सम्प्रेषण व अंतर वैयक्तिक कुशलता

शब्द निर्माण, कूटबद्धता/गैर–कूटबद्धता, संख्यात्मक प्रचालन

3. तार्किक व विश्लेषणात्मक योग्यता

तर्कः कथन–दलील, कथन–पूर्वानुमान, कथन–क्रियाविधि, कथन–निष्कर्ष, वाक्य से निष्कर्ष निकालना, विषय–वस्तु का पता लगाना, प्रश्न कथन, वेन–आरेख, अंकगणित संख्या श्रृखंला, अंकगणितीय तर्क–वितर्क व आकृतात्मक वर्गीकरण, संबंध अवधारणा

4. निर्णय लेना और समस्या समाधान

समस्या समाधान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, कथन एवं कारण

5. सामान्य मानसिक योग्यता

दिशा बोधक परीक्षा, सामाजिक बौद्धिकता, भावात्मक बौद्धिकता, आलोचनात्मक चिंतन, पहेली परीक्षण, वर्णाक्षर परीक्षण, आंकड़ा पर्याप्तता, अनुपस्थित स्वरूप विवेचन

6. संख्यात्मक अभिज्ञान :

संख्या व उनका वर्गीकरण, संख्याओं की विभाज्यता का परीक्षण, विभाज्यता की सामान्य विशेषताएं, मुख्य संख्या का परीक्षण, विभाजन और शेषफल, शेषफल नियम, दो–लाईन संख्या श्रृखंला, प्राकृतिक संख्याओं पर कुछ नियम

7. सांख्यिकीय विश्लेषण

आंकड़ों का चार्ट, ग्राफ, तालिका के माध्यम से प्रस्तुतीकरण, आंकड़ों की पर्याप्तता।

यूनिट – 2

प्रश्नों की संख्या : 20 पूर्णांक : 30 अंक

(यूनिट –2 में बिन्दु –08 में कुल 07 प्रश्न एवं बिन्दु 09 में कुल 13 प्रश्न)

8– अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल

(A) There shall be a long passage in English for comprehension, followed by three objective-type questions, with multiple choices, of 1.5 mark each. These questions will

test the candidate's ability to comprehend the ideas contained in the passage as well as his/her knowledge of English language/grammar.

(B) The four questions (1.5 mark each) based on language/grammar may cover the following areas :

- **(i)** Vocabulary
- **(ii)** Antonyms
- **(iii)** Synonyms
- **(iv)** One-word substitution
- **(v)** Phrases/phrasal verbs
- **(vi)** Transformation of sentences

9– हिन्दी भाषा में बोधगम्यता कौशल–

(अ) हिन्दी –भाषा में बोधगम्यता कौशल हेतु दिए गए विस्तृत अपठित गद्यांश या अवतरण से, प्रतिपाद्य (विषय–वस्तु), भाषा और व्याकरण पर आधारित, 06 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न डेढ़ अंक का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर **A, B, C, D** होंगे, जिनमें केवल एक उत्तर ही सही होगा।

(ब) 07 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (प्रत्येक डेढ़ अंक) अपठित गद्यांश के कथ्य, शीर्षक , उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति एवं मुहावरा, अलंकार, शब्द– विवेक (तत्सम, तद्‌भव, देशज एवं विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दार्थ), उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास और क्रियारूप आदि पर आधारित होने चाहिए।

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) का पाठयक्रम

1.सामान्य हिन्दी

अधिकतम अंक–150 **समयावधि–3 घण्टे**

1.**शब्द –रचना–** 15 अंक

उपसर्ग एवं प्रत्यय, सन्धि एवं समास, वचन एवं लिंग, व्याकरणिक कोटियॉ–संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया–विशेषण, अव्यय के अनुप्रयोग, वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य/ भाववाच्य)

2.**शब्द– विवेक** 15 अंक

(अ) शब्द– भेद

तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शंकर, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप किन्तु भिन्नार्थक, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द

(ब) शब्द– शुद्धि

3. **वाक्य– रचना** 15 अंक

रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन (सरल, मिश्र एवं संयुक्त), व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन (प्रश्नवाचक,विस्मयादिबोधक,सकारात्मक,नकारात्मक), विराम चिह्न, वाक्य शुद्धि, स्लोगन लेखन

4. **मुहावरे एवं लोकोक्तियॉ (अर्थ एवं वाक्य प्रयोग)** 10 अंक

5. **पत्र लेखन (अनौपचारिक एवं औपचारिक पत्र)** 15 अंक

6. (अ) प्रतिवेदन लेखन 10 अंक

(सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों,संगठनों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रामाणिक विवरण तैयार करना)

(ब) हिन्दी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक

7. **बोधन** 15 अंक

(अपठित अवतरण पर पूछे गए बोध–प्रश्नों के उत्तर तैयार करना)

8. सार लेखन /सारांश/संक्षेपण 15 अंक

(विस्तृत लेख, निबन्ध, प्रतिवेदन, भाषण, पत्र आदि की विषय–सामग्री को छोटा करके लगभग एक तिहाई रूप में प्रस्तुत करना)

9. पल्लवन 10 अंक

(प्रसिद्ध सूत्रों, वाक्यों, सूक्तियों,कहावतों/लोकोक्तियों आदि की व्याख्या और विस्तार करना)

10. हिन्दी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद 10 अंक

11. अंग्रेजी अवतरण का हिन्दी में अनुवाद 10 अंक

नोटः– सामान्यतः हाईस्कूल स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. निबन्ध

अधिकतम अंक–150 **समयावधि–3 घण्टे**

इस प्रश्न पत्र में निम्न तीन उपखण्ड (अ, ब एवं स) होंगे। प्रत्येक उपखण्ड से एक विषय पर चुने गये भाषा विकल्प में 700–800 शब्दों में निबंध लिखना होगा।

खण्ड :– अ
1. साहित्य और संस्कृति।
2. सामाजिक क्षेत्र।
3. राजनैतिक क्षेत्र।
4. आर्थिक क्षेत्र : कृषि, उद्योग और व्यापार।

खण्ड :– ब
1. विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी।
2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम।
3. प्राकृतिक आपदायें : भू–स्खलन, भूकम्प, जल–प्रलय, सूखा आदि।
4. राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं।

खण्ड :– स
1. उत्तराखण्ड की सामाजिक संरचना।
2. उत्तराखण्ड का इतिहास व संस्कृति, कला एवं साहित्य।
3. उत्तराखण्ड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य, उत्तराखण्ड में पर्यटन एवं पलायन।
4. उत्तराखण्ड में पर्यावरण व आपदा एवं आपदा प्रबंधन,
5. उत्तराखण्ड में महिला सशक्तिकरण।

नोटः– प्रत्येक खण्ड से निर्दिष्ट शब्द सीमा (700–800 शब्द) के निबंध के लिए पूर्णांक 50 अंक होंगे। प्रत्येक निबंध के मूल्यांकन में निम्नानुसार अंकों का निर्धारण किया जायेगा।

1. भाषा एवं व्याकरण की शुद्धता, उपयुक्त शब्द चयन एवं सुपाठ्य लिखावट (legible handwriting)
2. विषय से सम्बन्धित मौलिक विचारों का प्रतिपादन।
3. विषय की बहुआयामी समझ एवं व्यापकता का प्रस्तुतीकरण।
4. विषय सम्बन्धी विचारों का व्यवस्थित, सुसंगत एवं तार्किक तथा निबन्ध शैली का प्रकटीकरण।
5. विषय के सम्बन्ध में स्पष्टता, अभिव्यक्ति क्षमता तथा विषय के सन्दर्भ में वृद्धिकरण एवं संक्षिप्तीकरण की योग्यता।

3. सामान्य अध्ययन –I

(भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज)

अधिकतम अंक : 200 **समयावधि–3 घण्टे**

- भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।
- 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास– महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय।
- स्वतंत्रता संग्राम– इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान ।
- स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन।
- विश्व के इतिहास में 18 वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव।
- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।
- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुददे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय।
- भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव।
- सामाजिक सशक्तिकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म–निरपेक्षता।
- विश्व के भौतिक–भूगोल की मुख्य विशेषताएं।
- विश्वभर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए), विश्व (भारत सहित) के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक।
- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू–भौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान–अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं (जल–स्त्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणि–जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

4. सामान्य अध्ययन –II

(शासन व्यवस्था, संविधान, शासन–प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

अधिकतम अंक : 200 **समयावधि–3 घण्टे**

- भारतीय संविधान–ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना।
- संसद और राज्य विधायिका –संरचना, कार्य, कार्य–संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य – सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।
- सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध–न्यायिक निकाय।
- सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
- विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग– गैर सरकारी संगठनों, स्वंय सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य–निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित, तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।
- गरीबी और भूख से संबंधित विषय।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई–गवर्नेंस–अनुप्रयोग,मॉडल, सफलताएं, सीमाएं एवं संभावनाएं; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।
- भारत एवं इसके पड़ोसी–संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
- भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, डॉयस्पोरा (प्रवासी भारतीय)।
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच– उनकी संरचना, अधिदेश।

5. सामान्य अध्ययन –III

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन)

अधिकतम अंक : 200 **समयावधि–3 घण्टे**

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।
- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।
- सरकारी बजट।
- मुख्य फसलें – देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न – सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं; किसानों की सहायता के लिए ई–प्रौद्योगिकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली–उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु– पालन संबंधी अर्थशास्त्र।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग – कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- भारत में भूमि सुधार।
- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।
- बुनियादी ढांचा : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।
- निवेश मॉडल।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी– विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो–टैक्नोलॉजी, बायो–टैक्नोलॉजी, और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।
- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।
- आपदा और आपदा प्रबंधन।
- विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध।
- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका ।
- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन–शोधन और इसे रोकना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन– संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।
- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

6. सामान्य अध्ययन –IV
(नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरूचि)

अधिकतम अंक : 200 **समयावधि–3 घण्टे**

इस प्रश्न–पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार– व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगें। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न–पत्रों में किसी मामले के अध्ययन (केस स्टडी) का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

- नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह–संबंधः मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम; नीतिशास्त्र के आयाम; निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र मानवीय मूल्य – महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा; मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
- अभिवृत्ति : सारांश (कंटेन्ट), संरचना, वृत्ति; विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध; नैतिक और राजनीतिक अभिरूचि;सामाजिक प्रभाव और धारणा।
- सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर– तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना।
- भावनात्मक समझः अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग।
- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।
- लोक प्रशासन में सार्वजनिक/सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता; स्थिति और समस्याएं; सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं; नैतिक मार्गदर्शन के स्त्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतःप्रेरण, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण; जवाबदेही और नैतिक शासन; अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे; निगम (कारपोरेट) से संबंधित शासन प्रणाली।
- शासन व्यवस्था में ईमानदारीः लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान–प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
- उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)

7. सामान्य अध्ययन–V

(उत्तराखण्ड राज्य की जानकारी)

अधिकतम अंक–200 **समयावधि–3 घण्टे**

- **उत्तराखण्ड का इतिहास**–

प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखण्ड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, उत्तराखण्ड की प्राचीन जनजातियां, कुणिन्द एवं यौद्धेय, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश–शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, कुमाऊं का चंदवंश–शासन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, गोरखा आक्रमण एवं प्रशासन।

- **उत्तराखण्ड में ब्रिटिश शासन**–

प्रशासनिक व्यवस्था, भू व्यवस्था, वनप्रबन्धन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं चिकित्सा/स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तराखण्ड में स्थानीय(Vernacular) भाषा की पत्रकारिता का विकास, टिहरी रियासत–शासन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं संस्कृति, उत्तराखण्ड राज्य और राष्ट्रीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, टिहरी रियासत का विलय।

- **उत्तराखण्ड के जन आन्दोलन**–

कुली बेगार आन्दोलन, डोला–पालकी आन्दोलन, चिपको आन्दोलन, नशा विरोधी आन्दोलन, सामाजिक सुधारक, टिहरी राज्य में रियासत विरोधी आन्दोलन, पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन एवं उसके तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम।

- **उत्तराखण्ड का समाज एंव संस्कृति**–

परिवार, विवाह एवं नातेदारी, जाति व्यवस्था एवं गतिशीलता, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियाँ, ग्रामीण शक्ति संरचना, नगरीकरण एवं औद्यौगीकरण, प्रमुख लोक गीत, लोक नृत्य एवं शिल्प, प्रमुख लोकगायक एवं रंगकर्मी, लोक वाद्य यंत्र, चित्रकला, वेशभूषा एवं खान पान, बोलियाँ एवं शिल्प, उत्तराखण्ड के धार्मिक स्थल एवं मंदिर, मेले एवं त्यौहार।

- **उत्तराखण्ड राज्य के राजनीतिक एवं स्थानीय स्वशासन एवं लोकनीति–**
  उत्तराखण्ड की राजनीतिक व्यवस्था, दलीय व्यवस्था, क्षेत्रीय दल एवं दबाव समूह।
- **प्रशासनिक व्यवस्था–** राज्य सरकार की संरचना, मंत्रिमंडल एवं उसके विभाग, प्रशासनिक अभिकरण तथा जिला एवं तहसील स्तरीय प्रशासन, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, राज्य सतर्कता अभिकरण, उत्तराखण्ड में स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, उत्तराखण्ड में लोक नीति, सुशासन, सिटीजन चार्टर, ई–गवर्नेंस, भ्रष्टाचार का निवारण, लोकपाल तथा लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, मनरेगा, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास आदि, उत्तराखण्ड में महत्वपूर्ण आयोग।
- **उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में समसामायिक घटनायें।**

8. सामान्य अध्ययन–VI

(उत्तराखण्ड राज्य की जानकारी)

अधिकतम अंक–200 **समयावधि–3 घण्टे**

- **उत्तराखण्ड का भूगोल**– स्थिति, विस्तार एवं सामरिक महत्व, संरचना एवं उच्चावच, जलवायु, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, हिमनद, झीलें और जलवायु परिवर्तन। संसाधन– वन, जल एवं खनिज, भूमि। कृषि, सिंचाई, उद्यानिकी, पशु पालन एवं उद्योग। परिवहन–सड़क, रेल व वायु।
- जलविद्युत परियोजनाएं, जलीय संकट एवं समाधान।
- पर्यटन– समस्या एवं संभावनाएं।
- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य।
- जनसंख्या–वृद्धिदर, घनत्व, वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवसन–प्रतिरूप इससे उत्पन्न समस्याएं एवं समाधान। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण एवं नगर, स्मार्ट नगर। जनजातीय निवास, मानव विकास सूचकांक।
- **उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था**– राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषतायें :
- प्राकृतिक संसाधन–जल, वन, खनिज आदि।
- राज्य की आर्थिक रूपरेखा– राज्य घरेलू उत्पाद और इसके अवयव, प्रति व्यक्ति आय, आय के प्रमुख स्त्रोत, कृषि एवं उद्यानिकी, औषधीय पादप, वन उत्पाद, पर्यटन आदि।
- औद्योगिक विकास– राज्य एमएसएमई नीति, वृहद, मध्यम, लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, निवेश परिदृश्य, समस्याएं एवं संभावनाएं।
- आधारभूत संरचनाएः भौतिक–सड़क, रेल एवं वायु यातायात, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संचार, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ।
- आर्थिक नियोजन एवं नीतियां– राज्य वार्षिक योजना, विकास कार्यक्रम व नीतियां एवं योजनाएं, विकेन्द्रित नियोजन–पंचायती राज संस्थाएं एवं नगरीय स्थानीय निकाय।
- लोक वित्तः राजस्व प्राप्तियां व राज्य कर, लोक व्यय, उत्तराखण्ड का बजट।
- राज्य की प्रमुख आर्थिक समस्यायें– गरीबी, प्रवासन, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरणीय ह्रास।
- कल्याणकारी कार्यक्रमः युवा, बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास आदि।
- **आपदा प्रबंधन**– आपदा की प्रकृति, प्रकार एवं प्रभाव, प्राकृतिक आपदा के प्रमुख कारक तथा कम करने के प्रयास, अनाच्छादन, भूंकप, बादल फटना, वनाग्नि, सूखा, हिमस्खलन आदि, आपदा प्रबंधन में बाधाएं, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की भूमिका, आपदा प्रबंधन एक्ट (2005), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन0डी0एम0ए0) आपदा एवं प्रबंधन हेतु उत्तराखण्ड सरकार के प्रयास। मानव–जनित आपदाएं एवं प्रभाव।

- **उत्तराखण्ड में मानव संसाधन एवं सामुदायिक विकास–**
  रोजगार एवं विकासः मानव संसाधन प्रबन्धन, मानव संसाधन विकास तथा उत्तराखण्ड में इसके संकेतक। उत्तराखण्ड में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति एवं प्रकार। उत्तराखण्ड सरकार की योजनाएं। ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास की योजनायें– केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं सहित सम्बन्धित संस्थाओं एवं संगठनों की भूमिका।
- **शिक्षा**– मानव संसाधन के विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका।
  उत्तराखण्ड में शिक्षा की पद्धति–समस्यायें एवं मुद्दे (सार्वभौमिकरण एवं व्यावसायिकरण सहित) महिलाओं तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा।
  शिक्षा का अधिकार उत्तराखण्ड में सर्वशिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
  उत्तराखण्ड में उच्च, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा की स्थिति।
  शिक्षा के उन्नयन में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका (केन्द्र, राज्य तथा अन्य संगठनों सहित)
- **उत्तराखण्ड में मानव संसाधन के विकास के एक संघटक के रूप में स्वास्थ्य–**
  - उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य देख–भाल व्यवस्था।
  - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा अन्य सम्बन्धित योजनायें।
  - स्वास्थ्य एवं पोषण।
  - खाद्य सुरक्षा अधिनियम इत्यादि।

साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षा – अंक 150

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये सामान्य अभिरूचि के विषयों से सम्बन्धित होगी।

Examination Scheme for Uttarakhand Combined State (Civil) Upper Subordinate Services Exam

Uttarakhand Combined State Civil/ Upper Subordinate Examination includes three levels sequentially. For instance-

1. **Preliminary (Objective type) Examination**
2. **Main Examination (Written type)**
3. **Interview Examination**

1. Preliminary Examination (Objective type)

S. No.	Question Paper	Subject	No. of questions	Marks	Time Allowed
1	First Paper	General Studies	150 (01 mark for each question)	150	2 hours
2	Second Paper	General Aptitude Test	100 (1.5 mark for each question)	150	2 hours

Note:-1. The preliminary examination will be of objective type, in which the negative evaluation method will be adopted. For each wrong answer given by a candidate to a question or for more than one answer given by a candidate to the same question (even if one of the answers given is correct), one-fourth (1/4) mark of the marks prescribed for that question will be deducted.

2. Merit list will be prepared on the basis of marks obtained in the first question paper (General Studies). Second question paper (General Aptitude Test) is a qualifying examination, in which it is mandatory to obtain 33 % marks of all category/sub category candidates.

2. Main Examination (Written type)

Question Paper	Subject	Time	Marks
1	General Hindi	03 hours	150
2	Essay	03 hours	150
3	General Studies-I **(Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society)**	03 hours	200
4	General Studies-II **(Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International relations.)**	03 hours	200
5	General Studies-III **(Technology, Economic Development, Bio diversity, Environment, Security and Disaster Management)**	03 hours	200
6	General Studies-IV **(Ethics, integrity and Aptitude)**	03 hours	200
7	General Studies-V **(Knowledge of State of Uttarakhand)**	03 hours	200
8	General Studies-VI **(Knowledge of State of Uttarakhand)**	03 hours	200
Grand Total for Written Examination		**1500**	

3.Interview/Personality Test **150 Marks**
Grand Total(Written + Interview) **1650 Marks**

Note- All question papers are compulsory. It will be mandatory to obtain minimum 35 % marks in the General Hindi paper.

Uttarakhand Combined State (Civil) Upper Sub-ordinate Preliminary Examination Syllabus

First Paper-General Studies (Objective Type)

No of Questions-150 MM-150 Time Allowed: 02 Hours

Note:-Minimum 1/3 questions will be asked with the reference of state of Uttarakhand in total questions 150.

Unit- 1

Indian History, Culture and National Movement

Pre-Historic Period- Harappa Civilization, Vedic Civilization and Sangam Age - Mahajanapadas and rise of Magadh; Religious Movements - Jainism, Buddhism, Bhagavatism and Shaivism; Persian and Greek Contacts and other related aspects.

Mauryan Empire - Chandragupta Maurya, Ashoka and his Dhamma; Mauryan Administration, Economy, Society and Art; Kushanas and other related aspects.

Gupta Empire - Foundation, Consolidation and Decline; Chandragupta I, Samudragupta, Chandragupta II, Skandagupta; Gupta Adminstration, Society, Economy, Literature and Art and other related aspects.

Post-Gupta Period- Harshavardhan, Pal, Pratihara, Rashtrakuta, Chola, Pallava Chandel, Paramar, Chauhan; Social, Economic and Cultural Development between 650 A.D. and 1200 A.D and related other Aspect.

Advent of Islam in India- Iltutmish, Balban, Alauddin Khalji, Muhammad bin Tughlaq, Feroze Tughlaq, Sikandar Lodi and Ibrahim Lodi; Administration in Delhi Sultanate, Causes of decline of Delhi Sultanate, Society and Economy during Sultanate period, Indo-Islamic Architecture, Vijaynagar Empire, Sufism, Bhakti movement and other related aspects.

Mughal Empire - Babar, Shershah Suri, Akbar, Shahjahan, Aurangzeb and decline of Mughal Empire, Mughal administration, Jagirdari and Mansabdari systems, Society and Economy during the Mughal period, Literature, Art and Architecture; Maratha, Sikh and Jat and other related aspects.

Advent of Europeans - Portuguese, French, Dutch, British East India Company and British administration(1758-1857) and other related aspects,

Economic impact of British rule and other related aspects.

Socio-religious Reform Movement during 19th Century and other related aspects.

Viceroys of India (1858-1947)

First War of Independence (1857), Tribal, Non-Tribal, Caste and Peasant movements during 19 th and 20 th century; British administration after 1857 and other related aspects.

Government of India Act 1858, Administrative, Social and Judicial systems after 1858- Administration, Social, Educational, Judicial Reforms and other related aspects.

Growth of Nationalism in India, Rise of National Movement.

Indian National Congress- Foundation, Moderates and Extremists.

Partition of Bengal, Swadeshi movement, Foundation of Muslim League, Surat Session and the split of Congress(1907), Morley-Minto Reform (1909).

First World War and Indian National Movement- Home Rule Movement, Lucknow Pact (1916), August Declaration of 1917, Indian Revolutionary Movements in India and abroad. Gandhian era, Government of India Act (1919), Rowlatt Act (1919), Jallianwala bagh Massacre (13 April, 1919), Khilafat Movement, Non Co-operation Movement, Chaurichaura- episode,

Swaraj Party, Simon Commission, Nehru Report, 14th points of M.A. Jinnah, Lahore Session of Indian National Congress (1929), Civil Disobedience Movement, First Round Table Conference, Gandhi-Irwin Pact, Second and Third Round Table Conference, Communal Award and Poona Pact.

Government of India Act (1935) - Demand of Pakistan, Cripps Mission, Quit India Movement, Cabinet Mission Plan, Indian National Army, Interim Government, Mountbatten Plan, Indian Independence Act(1947), Partition of India, India after Independence, New activities and Related Organizations and other related aspects.

History and Culture Of Uttarakhand

Pre-historic Period.
Proto-historic period.
Ancient tribes of Uttarakhand
Kuninda and Yaudheya
Kartikepur dynasty
Kattyuri dynasty
Parmar dynasty of Garhwal
Chand dynasty of Kumaon
Gorkha Invasion and their rule in Uttarakhand
British Rule
Tehri Estate
Freedom Movement in Uttarakhand- First war of Independence (1857) and Uttarakhand
Role of Uttarakhand in India's national movement
People's movements of Uttarakhand.
other related aspects.

Unit- 2

Indian and World Geography

Geography of world : Important Branches, Earth and Solar System, Lithosphere, Latitudes, Longitudes, Time, Rotation, Revolution, Eclipses, Continents, Mountains, Plateaus, Planes, Hydrosphere, Lakes and Rocks, Atmospheric layers, Composition, Solar Insolation, humidity. Ocenic relief, Currents, Tides, Temperature and Salinity. Agriculture, Plants, Insect, Livestock breeding, Power and Minerals Resources, Industries, Population, Species and Tribes, Migration, Transport, Communication, International boundary line, Environment and World Trade (Regional Economic Group), Geographical Glossary and other related aspects.

Geography of India : Geographic Introduction, Relief and Structure, Climate, Drainage system, Vegetation, Plants, Insect, Livestock breeding, Irrigation, Power, Soils, Water Resources, Agriculture, Minerals, Industries, Population and Urbanization, Transport, Communication System, Foreign Trade, Scheduled Caste/Tribes, Social ecologies, Domicile and Pollution and other related aspects.

Geography of Uttarakhand : Geographical location, Relief and Structure, Climate, Drainage system, Vegetation, Wild life, Minerals, Agriculture, Animal Husbandry, Irrigation, Major Cities and Tourist Places, Populations , Schedule Caste/Tribes, Transport Network, Power Resource and Industrial development, Natural hazards and other related aspects.

Unit- 3

Indian Polity

National

1. Parliamentary system
2. Coalition Politics
3. Regionalism, Casteism, Communalism, Terrorism and Naxalism
4. Welfare : SC/ST/OBC's and Minorities (with reference to constitutional provisions, legal framework, institutional arrangement, process and implications)
5. Gender Politics (Equality, reservation, empowerment, welfare and safety/ security measures)
6. Electoral reforms in India
7. Governance : Institutions and process
8. National integration
9. Nuclear policy of India
10. Environmental Concerns
11. Economic and financial reforms: Liberalization, Privatization and Globalization (LPG) and its impact on politics and governance; planning machinery and planning process and banking sector (RBI, NABARD and IDBI etc)
12. Institutional reforms in India like MNREGA, NRHM, JNNURM etc., Public private partnership (PPP) mode.
13. Citizen Participation in Political and Administrative processes of the country
14. Civil society
15. Lok pal and Lok Ayukt
16. Other related aspects.

International

1. United Nations
2. International Organization
3. Environmental concerns at global level
4. SAARC, ASEAN, SAFTA and another regional groups
5. India's Approach to major world issues: Disarmament, Human Rights and Globalization
6. BRICS and its importance for India
7. Other related aspects

Constitution of India

1. Constitutional Development in India
2. Constituent Assembly
3. Preamble
4. Basic Features of Indian Constitution (Including its various parts, Important articles and schedules)
5. Fundamental Rights and Duties
6. Directive Principles of State policy
7. Constitutional Amendment method and important constitutional amendments
8. Federal and Parliamentary system of Governance in India

9. Parliamentary Committees (Public Accounts committee, Estimate Committee and Joint Parliamentary Committee)
10. Constitutional Bodies : Election Commission and Comptroller and Auditor General
11. Judiciary : Supreme Court and High Courts
12. Other related aspects

Indian Polity –

1. Union Executive : President, Prime Minister and Council of Ministers, Cabinet Secretariat, Central Secretariat and PMO
2. State Executive : Governor and Chief Minister and Council of Ministers, State Secretariat and Chief Secretary
3. Union Parliament and State Legislatures in India
4. Election Machinery and Process
5. Political Parties and Pressure Groups
6. Politicians and Civil servant Relationships
7. Development of Political Culture in India
8. Agencies of Political socialization
9. Evolution and Growth of Administrative system in India
10. Re-organization of states in India
11. Administration of Union Territories and other specified states and areas in India
12. Administrative reforms (including various important Committees and Commissions)
13. District Administration
14. Other related aspects

Panchayati Raj

1. Local Governance : 73^{rd} and 74^{th} Constitutional Amendment Acts
2. State Finance Commission : Functions and Role
3. Devolution of powers to local bodies
4. Types of local bodies in India : Municipal corporations, Municipal councils, Nagar Panchayat, Gram Panchayat, Panchayat Samities and Zila Parishad
5. Other related aspects

Public Policy-

1. Good Governance : Citizen Charter and E-Governance
2. Prevention of Corruption and Lok Pal and Lok Ayuktas
3. Right to Information
4. Right to Education
5. Right to services
6. Other related aspects

Issues Concerning Rights

1. Fundamental Rights
2. Protection of Civil Right Act, 1955
3. Various rights pertaining to protection of SCs, STs, Issues related Minorities, Women and Children and Old persons in India
4. Other related aspects.

Political System of Uttarakhand :-

Governance, Governor, Legislation, Chief Minister, Council of Ministers, Central State Relation, Public Services, Public Service Commission, Auditing, Advocate General, High Court and it's jurisdiction, Provision for minorities, Schedule Caste/Tribes, Special State Selection Criteria, Official Language, Consolidated fund and Contingency Fund, Political Parties and Election, Local Government and Panchayati Raj, Community Development, Public Policy, Right Related Issues (Education,

Employment, Development etc.) Governance (Prevention of Corruption, Lok Ayukt, Citizen charter, E-Governance, Right to Information, Samadhan Yojna etc.) and other related aspects.

Unit – 4

Economic and Social development

National

1. **Economic Policy :** Economic Reforms in India, Liberalization, Privatization and Globalization.
2. Foreign Direct Investment (F.D.I), Inflation, Inclusive Growth, Economic development v/s Environmental conservation.
3. Programs for eradication of poverty and unemployment. Human Development Index (H.D.I).
4. Census and Main features of India and population. Population and Economic Development. Issues related to urbanization.
5. Main features of the union budgets.
6. Main features of the economy of India.
7. Natural and energy resources of India, Trade (with external sector), Commerce, Industries, Schemes and Projects and direction of Economic Growth.
8. Tax reform and and Banking Business.
9. Planned Development.
10. National Development Council.
11. National Income.
12. Indian Agriculture (Agricultural productivity, Livestock, Green Revolution, Food Security, Food grain prices, Buffer stock, Agricultural Policy, Agricultural/Seed crop insurance scheme).
13. Indian Financial/Money/Capital/Security Market.
14. Insurance sector, Tax structure, Public finance and fiscal policy.
15. Concepts (Rolling plan, Sweat shares, Hawala, Gilt edge market, Black market, Black money etc).
16. Other related aspects.

International

1. World Trade Organization (W.T.O), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). International Monetary Fund (IMF), World Bank, South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC). Association of South East Asian

Nations (ASEAN). South Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA), BRICS, OPEC and Other regional Economic and commercial organizations.

2. International flow of capital, human resources and technology.
3. Foreign Exchange Regulation Act (FERA). Foreign Exchange Management Act (FEMA). Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
4. World Human Development Index.
5. Glossary.
6. Other related aspects.

Uttarakhand :

Main Features of economy and budgets, Natural and energy resources, Trade, Commerce, Industries, Schemes and Projects, Tax and economic reforms, Planned development, Agriculture, Live Stock, Food security, Public Finance and fiscal Policy, Census, Human Development Index, Tourism, Role of herbs and culture in the economic development. Other related aspects.

Unit -5

General Science and Technology:

Question on General Science will cover general appreciation and understanding of Science including matters of every day observation and experince, as may be expected of a well educated person, who has not made a special study of any scientific discipline.

Science and Technology in India: History and contribution.

Current affairs - National and International Awards, Prizes, Discoveries, Inventions, Science Congresses, Conferences, Solar technology, Application of new technology for human welfare, health and medicines, Environmental Awareness, Natural Bio resources, etc.

State, National and International Scientific and Reaserch Related other organizations- IUCN , WWF, IPCC, WHO, UNESCO, etc.

Information technology and application of computers in daily life, e-governance, etc.

Ecology and environment- Habitat, community ecosystem, Structure and function, adaptations. Plants and their classification, Traditional agriculture, Commercial agriculture and Commercialization of agriculture, Production of agricultural crops and their regional distribution (State, National and International Level) , Problems in agriculture field, Agricultural diversity, etc.

Natural resources – Soil, water, air, forests, grasslands, wetlands, marine. Planning and management of Renewable and non-renewable energy resources.

Biodiversity – Threats and conservation. Ethics and usage

Environmental Crisis: Air, water, soil and space pollution. Laws and Acts, Global warning .

Global climate change – Causes and effects.

Concept of remote sensing and GIS Applications.

Weather Forecasting.

Application of spread sheet and Data Base Applications.

Physical Science/Awareness - Fundamentals of Computer and Information processing, Basic Computer organization, Boolean Algebra, Logic Gates, Problem solving Techniques and Computer Languages, Business data processing, Data Communication and Computer Networks and security, use of Internet and multimedia applications, Cloud computing, Application of PC, Software Packages, Basics of cyber law, etc.

Matter and its States, acids, bases and salts, origin and distribution of element, hard and soft water, heavy water, purification, batteries, fuel cells, corrosion, nuclear fission and fusion, elements of symmetry, polymers, carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipid, hormones, vitamins, medicines and healthcare, dyes, cosmetics, food chemistry, etc.

Mechanics, General properties of matter, Wave motion , Sound and electromagnetic waves, Heat, Light, Magnetism, Electricity, Atomic & Nuclear Physics, Astronomy and space physics. X-rays and semiconductor technology etc.

Life Science – Branches, contribution, Natural Resources and their management.

Biodiversity, Biotechnology, Nanotechnology, Bio products, Vaccines, Immunization, Health care, Genetically modified organisms, Global warming and climate change, Livestock breeding, Plants and Human welfare etc.

Scientific Glossary.

Natural Resources of Uttarakhand and their contribution to National and International Climate change, etc.

Unit -6

Current events of State, National and International Importance.

Continents and Nations, Important events of Space, Wonders of the World, Religions of the World, Indian States, Famous books and writer of the World/India, Famous Scientists, Important Awards, Indian defence system, Health and Family welfare, Scintific and technical development, Education, National symbols, Protocol in India, Important Human rights and welfare organizations of World/India, Important Religious places, Important Passes, Dances of India, Cultural Institutes, Music, Drawing, Indian Languages, World Heritage, Important newspapers, Important Dates, Sports Landscape, Important Sports and related terms, Conventions/Exhibitions/Festival/Conferences, Important Reports and other related aspects.

Second paper -General Aptitude Test (Objective Test)

No of Questions-100 MM-150 (Each Question carrying 1.5 Mark) Time Allowed: 02 Hours

Unit – 1

Number of questions : 80 MM : 120

1 – Aptitude – Statement/propositions true and false statement (syllogism) Analogies, Similarities and differences, Observation, Mirror images.

2 - Communication and Inter personal Skills- Word building, Coding decoding, Numerical Operations.

3 – Logical and Analytical ability

Logic : Statements- Arguments, Statement- Assumptions, Statement- Courses of Action, Statement – Conclusions, Deriving Conclusions from passages, Theme Detection, Question-Statements, Ven Diagram, Arithmetic number series, Arithmetical reasoning and Figural Classification, Relationship concepts.

4 - Decision making and problem solving-Problme Solving, Decision-making, Visual memory, Discrimination, assertion and Reason.

5 - General mental Ability: Direction sense Test, Social Intelligence, Emotional Intelligence, Critical thinking, Puzzle Test, Alphabet test, Data sufficiency, Inserting the missing Character.

6 - Numerical identification- Number & their classification, test of divisibility of number, general properties of divisibility, test of prime number, division and remainder, remainder rules, two-line number series, sum rules on natural numbers.

7- Statistics Analysis- Presentation of Data through chart, graph, Tables, sufficiency of data

Unit – 2

Number of questions: 20 MM : 30

(Unit-2 -Para -08- Total number of questions -07, Para-09- Total number of questions -13)

8– Comprehension skill in English language-

(A) There shall be a long passage in English for comprehension, followed by three objective-type questions, with multiple choices, of 1.5 mark each. These questions will test the candidate's ability to comprehend the ideas contained in the passage as well as his/her knowledge of English language/grammar.

(B) The four questions (1.5 mark each) based on language/grammar may cover the following areas:

- **(i)** Vocabulary
- **(ii)** Antonyms
- **(iii)** Synonyms
- **(iv)** One-word substitution
- **(v)** Phrases/phrasal verbs
- **(vi)** Transformation of sentences

9– हिन्दी भाषा में बोधगम्यता कौशल–

(अ) हिन्दी –भाषा में बोधगम्यता कौशल हेतु दिए गए विस्तृत अपठित गद्यांश या अवतरण से, प्रतिपाद्य (विषयवस्तु), भाषा और व्याकरण पर आधारित, 06 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न डेढ़ अंक का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर **A, B, C, D** होंगे। जिनमें केवल एक उत्तर ही सही होगा।

(ब) 07 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (प्रत्येक डेढ़ अंक) अपठित गद्यांश के कथ्य, शीर्षक , उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति एवं मुहावरा, अलंकार, शब्द– विवेक (तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दार्थ), उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास और क्रियारूप आदि पर आधारित होने चाहिए।

Uttarakhand Combined State (Civil) Upper Sub-ordinate Main Examination (Written type) Syllabus

1. General Hindi

अधिकतम अंक–150 समयावधि–3 घण्टे

1.शब्द –रचना– 15 अंक

उपसर्ग एवं प्रत्यय, सन्धि एवं समास, वचन एवं लिंग, व्याकरणिक कोटियॉ–संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया–विशेषण, अव्यय के अनुप्रयोग, वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य/ भाववाच्य)

2.शब्द– विवेक 15 अंक

(अ) शब्द– भेद

तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शंकर, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप किन्तु भिन्नार्थक, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द

(ब) शब्द– शुद्धि

3. **वाक्य– रचना** 15 अंक

रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन (सरल,मिश्र एवं संयुक्त), व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन (प्रश्नवाचक,विस्मयादिबोधक,सकारात्मक,नकारात्मक), विराम चिह्न, वाक्य शुद्धि, स्लोगन लेखन

4. **मुहावरे एवं लोकोक्तियॉ (अर्थ एवं वाक्य प्रयोग)** 10 अंक

5. **पत्र लेखन (अनौपचारिक एवं औपचारिक पत्र)** 15 अंक

6. **(अ) प्रतिवेदन लेखन** 10 अंक

(सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों,संगठनों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रामाणिक विवरण तैयार करना)

(ब) हिन्दी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक

7. **बोधन** 15 अंक

(अपठित अवतरण पर पूछे गए बोध–प्रश्नों के उत्तर तैयार करना)

8. **सार लेखन /सारांश/संक्षेपण** 15 अंक

(विस्तृत लेख,निबन्ध, प्रतिवेदन, भाषण,पत्र आदि की विषय–सामग्री को छोटा करके लगभग एक तिहाई रूप में प्रस्तुत करना)

9. **पल्लवन** 10 अंक

(प्रसिद्ध सूत्रों, वाक्यों, सूक्तियों,कहावतों/लोकोक्तियों आदि की व्याख्या और विस्तार करना)

10. **हिन्दी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद** 10 अंक

11. अंग्रेजी अवतरण का हिन्दी में अनुवाद 10 अंक

Note: Generally, it will be mandatory to obtain minimum 35 percent marks in General Hindi question paper based on high school level syllabus.

2. Essay

Time: 03 Hours **Maximum Marks: 150**

This question paper will consist of three sub-sections-'A','B' and 'C'. The candidates will have to write an essay of 700-800 words limit from each sub section of opted language alternatives.

Section :- A

1. Literature and Culture
2. Social sphere.
3. Political sphere.
4. Economic sphere : Agriculture, Industry and Trade.

Section :- B

1. Science, Environment and Technology
2. National and International Events
3. Natural Calamities : Landslide, Earthquake, Deluge, Drought, etc.
4. National Development Programmes and projects.

Section :- C

1. Social structure of Uttarakhand.
2. History and Culture, Art and Literature in Uttarakhand.
3. Economic and Geographic Scenario of Uttarakhand, Tourism and Migration in Uttarakhand.
4. Environment & Disaster and Disaster Management in Uttarakhand.
5. Women Empowerment in Uttarakhand.

Note: The Maximum Marks for the essay of 700-800 words limit from each section will be 50. The marks during evaluation of each essay will be given keeping in the mind the following points.

1. Accuracy of Language and Grammar, Proper Word Selection, and Legible Handwriting.
2. Rendering of Original Thoughts related to the Subject.
3. Presentation of Multi-dimensional and Comprehensive Understanding of the Subject.
4. Systematic, Compatible, and Reasonable Revelation of Subject related thoughts and Essay Style.
5. Clarity, Expression Ability and Expansion and Summarization ability with reference to the given subject.

3. GENERAL STUDIES-I

(Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society)

Time: 03 Hours **Maximum Marks: 200**

- Indian culture will cover the salient aspects of art Forms, literature and Architecture from ancient to modern times.
- Modern Indian history from about the middle of the eighteenth century until the present – significant events, personalities, issues.
- The Freedom Struggle – its various stages and important contributors/contributions from different parts of the country.
- Post – independence consolidation and reorganization within the country.
- History of the world will include events from 18^{th} century such as industrial revolution, world wars, re-drawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism etc.- their forms and effect on the society.
- Salient features of Indian Society, Diversity of India.
- Role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and remedies.
- Effects of globalization on Indian society.
- Social empowerment, communalism, regionalism & secularism.
- Salient features of world's physical geography.
- Distribution of key natural resources across the world (including South Asia and the Indian sub-continent); factors responsible for the location of primary, secondary, and tertiary sector industries in various parts of the world (including India).
- Important Geophysical phenomena such as earthquakes, Tsunami, Volcanic activity, cyclone etc., geographical features and their location – changes in critical geographical features (including water-bodies and ice-caps) and in flora and fauna and the effects of such changes.

4. GENERAL STUDIES – II

(Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International relations.)

Time: 03 Hours **Maximum Marks: 200**

- Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.
- Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein.
- Separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions.
- Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries.
- Parliament and State legislatures – structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these.
- Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary – Ministries and Departments of the Government; pressure groups and formal /informal associations and their role in the polity.
- Salient features of the Representation of people's Act.
- Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies.
- Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies.
- Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.
- Development processes and the development industry – the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders.
- Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and states and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections.
- Issues relating to development and management of social sector / services relating to health, Education, human Resources.
- Issues relating to poverty and hunger.
- Important aspects of governance, transparency and accountability, e–governance- applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures.
- Role of civil services in a democracy.
- India and its neighborhood – relations.
- Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and / or affecting India's interests.
- Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora.
- Important International institutions, agencies and fora – their structure, mandate.

5. GENERAL STUDIES – III

(Technology, Economic Development, Bio diversity, Environment, Security and Disaster Management)

Time: 03 Hours **Maximum Marks: 200**

- Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment related topics.
- Inclusive growth and issues arising from it.
- Government Budgeting.
- Major crops-cropping patterns in various parts of the country, - different types of irrigation and irrigation systems, storage, transport and marketing of agricultural produce and issue and related constraints; e – technology in the aid of farmers.
- Issue related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; public Distribution System – objectives, functioning, limitations, improvement; issues of buffer stocks and food security; Technology missions; economics of animal – rearing.
- Food processing and related industries in India – scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management.
- Land reforms in India.
- Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth.
- Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.
- Investment models.
- Science and Technology – developments and their applications and effects in everyday life.
- Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology.
- Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano – technology, bio – technology and issues relating to intellectual property rights.
- Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment.
- Disaster and disaster management.
- Linkages between development and spread of extremism.
- Role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security.
- Challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cybers security; money – laundering and its prevention.
- Security challenges and their management in border areas – linkages of organized crime with terrorism.
- Various Security force and agencies and their mandate.

6. GENERAL STUDIES – IV

(Ethics, integrity and Aptitude)

Time: 03 Hours **Maximum Marks: 200**

This paper will include questions to the candidates' attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life and his problem-solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following broad areas will be covered:

- Ethics and Human Interface: Essence, determinates and consequences of Ethics in – human actions; dimensions of ethics; ethics – in private and public relationships. Human values – lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators; role of family, society and educational institutions in inculcating value.
- Attitude: content, structure, function; its influence and relation with thought and behavior; moral and political attitudes; social influence and persuasion.
- Aptitude and foundational values for civil service, integrity, impartiality and non–partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker – sections.
- Emotional intelligence – concepts, and their utilities and application in administration and governance.
- Contributions of moral thinkers and philosophers from India and world.
- Public/Civil service values and Ethics in public administration: Status and problems; ethical concerns and dilemmas in government and private institutions; laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance; accountability and ethical governance; strengthening of ethical and moral values in governance; ethical issues in international relations and funding; corporate governance.
- Probity in Governance: Concept of public service; philosophical basis of governance and probity; Information sharing and transparency in government, Right to information, Codes of Ethics, Codes of Conduct, Citizen's Charters, Work culture, Quality of service delivery, Utilization of public funds, challenges of corruption.
- Case studies on above issues.

7. GENERAL STUDIES – V

(Knowledge of State of Uttarakhand)

Time: 03 Hours **Maximum Marks: 200**

- **History of Uttarakhand** - Prehistoric period, Proto-historic period, Major archeological sites of Uttarakhand, Ancient tribes of Uttarakhand, Kunindas and Yaudheyas, Katyuri dynasty, Parmar dynasty in Garhwal- Rule, Administration, society, Economy, Chand dynasty of Kumaon- Rule, Administration, society, Economy, Gorkha invasion and administration.
- **British Rule in Uttarakhand**- Administrative System, Land Revenue, Forest Management, Economy, Education and Health System, Growth of Vernacular journalism in Uttarakhand, Tehri state- Rule, Administration, Society, Economy, Religion and Culture, Uttarkhand State and National Movement, Prominent Freedom Fighters of Uttarakhand, Merger of the Tehri state.
- **Popular Movements in Uttarakhand**- Coolie Begar Movement, Dola Palki Movement, Chipko Movement, Anti-Liquor Movement, Social Reformers. Anti princely Tehri State movement, Movement of separate Uttarakhand state and its immediate and long-term consequences.
- **Society and Culture of Uttarakhand**- Family, Marriage and kinship system in Uttarakhand, Caste system and caste mobility in Uttarakhand: Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Others Backward Classes in Uttarakhand; Rural Power Structure, Urbanization and Industrialization in Uttarakhand, prominent Folk Songs, Folk dance and craft. Prominent Folk singers and folk artists of Uttarakhand, musical instruments, paintings, costumes & food habits, Religious places and Temples of Uttarakhand, Fairs and Festivals, Dialects and craft of Uttarakhand.
- **Uttarakhand State- Political, Local Administration and Public Policy;** Political System in Uttarakhand, Party Politics, Regional Parties, Pressure groups.
- **Administrative system**- Structure of the state government, Cabinet and Departments, Administrative Agencies and District and Tehsil level Administration. State Public Service Commission. Lok Ayukta, State Vigilance Agency. Local Self Government in Uttarakhand- Nature of urban local bodies and Panchayati Raj institutions in Uttarakhand, State Finance Commission, State Election Commission. Public Policy in Uttarakhand, Good governance, Citizen's Charter and e-governance, prevention of corruption, Lok pal and Lokayukta, Right to information, Right to education, Right to service, Women Empowerment, MNREGA, Soldier’s Welfare and rehabilitation etc. Important Ayog in Uttarakhand.
- **Current events in the context of Uttarakhand state.**

8. GENERAL STUDIES – VI

(Knowledge of State of Uttarakhand)

Time: 03 Hours **Maximum Marks: 200**

- **Geography of Uttarakhand-** Location, Extent and Strategic Importance, Structure and relief, Climate, Drainage System, Natural Vegetation, Soil, Glacier, Lake and Climate Change. Resources- Forest, Water, Minerals and Land, Agriculture, Irrigation, Horticulture, Animal Husbandry, Industry. Transport – Road, Rail and Air.
- Hydro-electric Projects, Water Scarcity and Solution.
- Tourism – Problems and Prospects.
- National parks and Wild-life sanctuaries.
- Population- Growth Rate, Density, Distribution, Sex Raito, Literacy, Migration- Pattern, Problem and solution. Rural Settlement- type and patterns, Urbanization and cities, Smart City. Tribal habitat, Human Development Index.
- **Economy of Uttarakhand**- Main features of the state's economy :
- Natural Resources - Water, Forests, Minerals etc.
- Economic profile of the State- State domestic products and its Components, Per Capita Income. Major sources of income; Agriculture & Horticulture, Medicinal Plants, Forest products, and Tourism etc.
- Industrial development: State MSME Policy, Large, Medium, Small, Cottage and Handicraft Industries, Investment scenario, Problems and Possibilities.
- Infrastructure: Physical – Road, Rail and Air transport, Banking and financial Institutions, Education, Health, Energy, Communication, Self Help Groups (SHGs).
- Economic Planning and Policies – State annual plans, Development Programmes, Schemes and Policies; Decentralized Planning- Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies.
- Public Finance: Revenue receipts, State Taxes, Public Expenditure, Uttarakhand's Budget.
- Major economic problems of the State – Poverty, Migration, Natural Disasters, Environmental degradation.
- Welfare programs- Youth, Child and Women welfare programs, Poverty alleviation programs, MNREGA, Food and Civil supply, soldiers welfare and rehabilitation etc.
- **Disaster Management**: Nature, types and effect of disaster, Important Factors of natural disaster and efforts to reduce it.
- Denudation, Earthquake, Cloud-burst, Forest Fire, Drought & Avalanche etc. Difficulties in disaster Management. Ecologically – Sensitive areas. Role of NDRF and SDRF.

- Disaster Management Act-2005, National Disaster Management Authority (NDMA). Disaster and impacts due to anthropogenic activites. Efforts of Uttarakhand Government.
- **Human Resource and Community Development in Uttarakhand-** Employment and Development: Human resource management, human resource development and its indicators in Uttarakhand. Nature and types of unemployment problem in Uttarakhand. Uttarakhand government's schemes. Rural development and community development schemes – role of related institutions and organizations including centrally and state sponsored schemes.
- **Education** - Role of education in human resource development and social change. System of education in Uttarakhand - problems and issues (including universalization and professionalization), education for women and other socially and economically deprived sections and minorities.

  Right to Education, Sarva Shiksha Abhiyan and National Secondary Education Abhiyan in Uttarakhand. Status of higher, technical and professional education in Uttarakhand. Role of various institutions (including Centre, State and other organizations) in the improvement of education.
- **Health as a component of human resource development in Uttarakhand-**
    - Health care system in Uttarakhand.
    - National Rural Health Mission and other related schemes.
    - Health and Nutrition.
    - Food Security Act etc.

Interview/Personality Test — Total Marks: 150

The test will relate to the matter of general interest keeping the matter of academic interest in view and for general awareness, intelligence, character, expression power/personality and general suitability for service.

परिशिष्ट–3

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र)/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित)/पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम...................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र

संस्थान / अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .... तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0.. सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री ....आयु .... लिंग ....पहचान चिन्ह .... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) एल0वी0 / पी0बी0 – ऑशिक रुप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) एच0एच0 / पी0डी0 – ऑशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vi)	एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vii)	एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(viii)	डब्लू–चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ix)	एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(x)	एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(xi)	आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं

डा0..)	(डा0..)	(डा0..)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

' जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्याः–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या............................**वर्ष 2026–27** हेतु मान्य दिनांक................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पत्नी/पुत्री.................................. ....ग्राम/मोहल्ला...पोस्ट ऑफिस................................. जिला...................................... पिन कोड............................उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रोतों से **वित्तीय वर्ष 2025–26** की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धरित मानक रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैः–

I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..................................जो कि......................... जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम....................
पदनाम........................

आवेदक की नवीनतम
पासपोट साइज का
प्रमाणित फोटो

शासनादेश संख्या–139/XX(8)/24–27 (रा0आ0)/2018, दिनांक 24.11.2024

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 के प्राविधानानुसार चिह्नित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती.................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी...तहसील...............................जिला................... शासनादेश संख्या–777/XX(4)/26/उ०आ०/2006–08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या–178–2/XX(4)/26/उ0मा0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या–1401/बीस–4/2015–3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या–1521/बीस 4/2017–9(उ०रा०आ०) 2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या–1192/बीस–4/2017– 3(13)/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित होने के दृष्टिगत् "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होते हैं।

दिनांक.......................

जिलाधिकारी
जनपद......................................
मोहर...

परिशिष्ट–4

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट–4(I) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–4(I) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट–4(II) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–4(I) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट–4(II) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–4(I) प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।
7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को Talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (Trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे; उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

APPENDIX-4(I)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ---------------- (name of the candidate with disability), a person with ----------------- (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o -------------------, a resident of -------------------- (Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent
of a Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:
Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg.Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

APPENDIX-4(II)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I ---------------, a candidate with ---------------(name of the disability) appearing for the ----------------(name of the examination) bearing Roll No. ----------------- at --------------- (name of the centre) in the District ----------------(name of the State). My qualification is ----------------------.

I do hereby state that --------------(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ---------------. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:
Date:

परिशिष्ट–05

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देशः–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एवं/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–5(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–5(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

- i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....अध्यक्ष
- ii. Orthopaedic/PMR specialist
- iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
- iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/Special Educator
- v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
- vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–5(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्ंयाः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

सचिव

परिशिष्ट–05 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.………………………………………(name of the candidate), s/o /D/o ………………………………..a resident of ……………………………………………………………… ………… ………………………….. (Vill/PO/PS/District/State), aged……… yrs. a person …………(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto ______ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…………… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–05 (2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I___________________, a candidate with_____________(nature of disability/condition) appearing for the _______________(name of the examination) bearing Roll No. ____________________at________________(name of the center) in the District ___________,__________(name of the State). My educational qualification is ______________.

2. I do hereby state that___________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is_______________. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट–6

शासनादेश संख्या–256 / 18–प्रा0शि0–2–88–20 / 82, दिनांक 16.07.1982 ऊँचाई की नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती. ....ग्राम......................तहसील / तालुका.................................जिला.................... ....राज्य...के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्कमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरूणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई की मापतौल में छूट दी गयी है।

स्थान...............................
दिनांक.............................

हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

पदनाम

पदनाम की मुहर

नोटः कृपया जो लागू हो उस पर सही (✓) का निशान लगायें।

<u>परिशिष्ट–07</u>

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2026 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड अनाथ श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 समय–समय पर यथा संशोधित विनियमावली के द्वारा परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसका विवरण निम्नवत :–

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी	प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	मुख्य/लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	अन्तिम चयन परिणाम (सम्पूर्ण प्रवीणता सूची) तैयार किये जाने हेतु परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी	35%	40%	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी	30%	35%	40%
3	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी	30%	35%	40%
4	अनुसूचित जाति श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी	25%	30%	35%
5	उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	25%	30%	35%
6	दिव्यांगजन	20%	25%	30%
7	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	25%	30%	35%

नोटः

1. सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।
2. प्रारम्भिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्नपत्र (सामान्य बुद्धिमता परीक्षा) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) अर्हकारी प्रकृति का होगा, जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम प्रथम प्रश्नपत्र (सामान्य अध्ययन) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंको के आधार पर प्रवीणता के अनुसार तैयार किया जाएगा।
3. सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र (सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र को छोड़कर) में अनारक्षित एवं संबंधित उपश्रेणी के पदो हेतु **35%**, ओ0बी0सी0 एवं संबंधित उपश्रेणी के पदों हेतु **30%**, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी के पदों हेतु **30%**, अनुसूचित जाति एवं संबंधित उपश्रेणी हेतु आरक्षित पदो हेत **25%**, उ0 स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उ0 पूर्व सैनिक उपश्रेणी हेतु **25%** एवं दिव्यांगजन उपश्रेणी हेतु **20%** अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही पद के अनुरूप मेरिट के आधार पर मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु विचारित किया जाएगा।

परिशिष्ट–08

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2026

Check List

अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख सम्बन्धी विवरण प्रपत्र।

अनुक्रमांक–

क्र0 सं0	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नही।
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति। (जिसमें पदों की वरीयता समाहित हो)	
02	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना प्रत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल अंकतालिका	
06	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र	
07	स्नातक अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर अंकतालिका	
08	स्नातक डिग्री	
09	स्नातकोत्तर अंकतालिकाएं **(यदि लागू हो)।**	
10	स्नातकोत्तर डिग्री **(यदि लागू हो)।**	
11	चार्टर्ड एकाउण्टेंट (सी0ए0) की अंकतालिकाएं **(यदि लागू हो)।**	
12	चार्टर्ड एकाउण्टेंट (सी0ए0) की उपाधि **(यदि लागू हो)।**	
13	बी0एड0 अन्तिम वर्ष की अंकतालिका **(यदि लागू हो)।**	
14	बी0एड0 डिग्री **(यदि लागू हो)।**	
15	**अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।**	
	(1) एन0सी0सी0 ''बी'' प्रमाण पत्र	
	(2) एन0सी0सी0 ''सी'' प्रमाण पत्र	
	(3) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।	
	(4) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण (बी0एड0) उपाधि।	
	(5) खेल प्रतियोगिताओं में राज्य **या** राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया हो।	
	(6) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि।	

	(7) सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव।	
	(8) एन0एस0एस0 'बी' प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
	(9) एन0एस0एस0 'सी' प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
16	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)* **(यदि लागू हो)**	
17	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/ उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रित/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण पत्र) **(यदि लागू हो)**	
18	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र **(यदि लागू हो)**	
19	यदि शारीरिक मानक में छूट का दावा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया है तो दावे के सापेक्ष सक्षम स्तर से जारी पर्वतीय प्रमाण–पत्र। (विज्ञापन के परिशिष्ट–6 के अनुसार)	
20	**पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी किसी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।**	
21	**राज्य आन्दोलनकारियों का दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा मे राज्य आन्दोलनकारी कोटे में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।**	
22	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
23	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
24	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ।	

- यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

- एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।

नोट 01. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उल्लिखित श्रेणी जिसके सापेक्ष प्रमाण–पत्र संलग्न किया है, उस श्रेणी का क्रम संख्या–16 में तथा आवेदन–पत्र में उल्लिखित उपश्रेणी जिसके सापेक्ष प्रमाण–पत्र संलग्न किया है, उप श्रेणी का क्रम संख्या–17 के सम्मुख स्पष्ट अंकन करें।

02. अभ्यर्थी उक्तानुसार चैकलिस्ट सहित चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट पूर्णरूप से भरते हुए तैयार करेंगें एवं अभिलेख सत्यापन (Document verification) के समय आयोग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक.........................

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....................
अभ्यर्थी का नाम........................